डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. 2 डब्ल्यू. पी. 53/98

रजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 2/पी. 123/98

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 जून 1998—ज्येष्ठ 21, शक 1920

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जून, 1998

क्र. 7360-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 23 मई, 1998 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १३ सन् १९९८.

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८.

विषय-सूची.

धाराएं :

अध्याय-१ प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय-२ विश्वविद्यालय

३. विश्वविद्यालय का निगमन.

४. उद्देश्य.

५. विश्वविद्यालय की शक्तियां.

६. अधिकारिता.

७. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.

८. विश्वविद्यालय में अध्यापन.

९. विश्वविद्यालय का निरीक्षण.

अध्याय-३ विश्वविद्यालय के अधिकारी

१०. विश्वविद्यालय के अधिकारी.

११. कुलाधिपति और उसकी शक्तियां.

१२. कुलपति की नियुक्ति.

१३. कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें, कुलपति की पदावधि तथा उसके पद में रिक्ति.

१४. कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य.

१५. प्रथम कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य.

१६. कुलाधिसचिव.

१७. राज्य विश्वविद्यालय सेवा के माध्यम से भर्ती.

१८. कुलसचिव.

१९. विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष.

२०. अन्य अधिकारी.

अध्याय-४ विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

२१. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

२२. सभा का गठन.

२३. सभा के सम्मिलन तथा उनमें गणपूर्ति.

२४. सभा की शक्तियां और उसके कर्तव्य.

२५. कार्य परिषद.

२६. कार्य परिषद की शक्तियां और कर्तव्य.

२७. वित्त समिति.

२८. विद्या परिषद.

COURT BOOK

२९. विद्या परिषद की शक्तियां तथा कर्तव्य.

३०. संकाय.

३१. अध्ययन बोर्ड.

३२. अध्ययन बोर्ड की शक्तियां तथा उनके कृत्य.

३३. विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड.

३४. गठित किये जाने वाले बोर्ड.

अध्याय-५ वित्त

३५. विश्वविद्यालय निधि.

३६. उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सकेगा.

अध्याय-६ परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

३७. परिनियम.

३८. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

३९. अध्यादेश.

४०. अध्यादेश किस प्रकार बनाएं जाएंगे.

४१. अध्यादेशों के संबंध में प्रक्रिया.

४२. विनियम.

अध्याय-७ विद्यार्थियों का निवासस्थान, नामांकन तथा उपाधियां आदि

४३. विद्यार्थियों का निवास.

४४. छात्रावास.

४५. विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश.

४६. परीक्षकों तथा अनुसीमकों (माडरेटर्स) की नियुक्ति.

४७. महाविद्यालयों तथा पालीटेकनिकों का निरीक्षण एवं रिपोर्ट.

४८. रजिस्ट्रीकृत स्नातक तथा उपाधि पत्र (डिप्लोमा) धारक.

अध्याय-८ संपरीक्षा

४९. वार्षिक रिपोर्ट.

५०. लेखाओं की संपरीक्षा.

अध्याय-९ विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों पर नियुक्ति

५१. अध्यापन पदों पर नियुक्ति.

५२. उन अध्यापकों का वेतन जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता है.

अध्याय-१० आपात उपबंध

५३. राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी.

५४. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय को समुचित प्रशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपान्तरित प्ररूप में अधिनियम को लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति.

५५. धारा ५५ के अधीन अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि के अवसान का प्रभाव.

५६. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद.

५७. समितियों का गठन.

५८. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.

५९. विश्वविद्यालय तथा निकायों की कार्यवाहियां रिक्तयों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी.

६०. सेवा की शर्तें.

६१. पेंशन तथा भविष्य निधि.

६२. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

६३. शिक्षण देने के लिए अनुमोदन.

६४. अध्यापकों का वर्गीकरण.

६५. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्य की पदावधि.

६६. विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र.

६७. प्राधिकारी का सदस्य होने के लिए निरर्हता.

६८. स्नातकों के रजिस्टर में से, उपाधि पत्र (डिप्लोमा) धारकों के रजिस्टर में से या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के किसी सदस्य को हटाने की शक्ति.

६९. कठिनाइयों का निराकरण.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(२) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगे या उसमें संदत्त किए जाएंगे —

(क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई भाटक, अभिदाय या अनुदान;

(ख) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेण्ट्स) तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हों;

(ग) समस्त स्त्रोतों से हुई विश्वविद्यालय की आय जिसके अंतर्गत फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय आती है;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई समस्त अन्य राशियां.

(३) विश्वविद्यालय निधि कार्य परिषद् के विवेकानुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का सं. २) में यथापरिभाषित किसी भी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी या भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का सं. १) द्वारा प्राधिकृत की गई प्रतिभूतियों में विनिहित की जाएगी.

(४) इस धारा में की कोई भी बात, किसी न्यास के प्रबंधन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए न्यास की किसी भी घोषणा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिगृहीत की गई या उस पर अधिरोपित की गई किन्हीं भी बाध्यताओं पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगी.

उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सकेगा.

३६. (१) विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एवं निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा :—

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए ऋणों में प्रतिसंदाय के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए गए महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों के अनुरक्षण के लिए तथा निवास स्थान तथा छात्रावासों के अनुरक्षण के लिए;

(ग) विश्वविद्यालय निधि की संपरीक्षा के खर्च के संदाय के लिए;

(घ) किन्हीं भी ऐसे वाद या ऐसी कार्यवाहियों के, जिनमें कि विश्वविद्यालय एक पक्षकार है, व्ययों के लिए;

(ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के संदाय के लिए और इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए तथा उन प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालयों में नियोजित किए गए अध्यापकवृन्द तथा स्थापना के सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों के संदाय के लिए, और किन्हीं भी ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों, अध्यापकवृन्द के सदस्यों को या ऐसी स्थापना के सदस्यों को किसी भविष्य निधि के अभिदायों, उपदान तथा अन्य फायदों के संदाय के लिए ;

(च) कार्य-परिषद्, विद्या परिषद् के सदस्यों और विश्वविद्यालयों के किन्ही अन्य प्राधिकारियों के सदस्यों और/या इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के किसी भी उपबंध के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति या बोर्ड के सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों के संदाय के लिए;

(छ) विद्यार्थियों को अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;

(ज) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए किन्हीं भी व्ययों के संदाय के लिए;

(चार) विश्वविद्यालयीन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के तीन अध्यक्ष, जो कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए गए हों;

(पांच) तीन महाविद्यालयीन आचार्य जो कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए गए हों;

(छह) ख्याति प्राप्त तीन विद्वान जो विश्वविद्यालय से संसक्त न हों;

(सात) तीन विभागाध्यक्ष जो कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किए जायेंगे;

(आठ) उद्योग के दो प्रतिनिधि जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए गए हों.

(२) बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(३) विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड की अवधि तीन वर्ष होगी.

(४) विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियां होंगी तथा वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय की अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक योजना तैयार करना,

(दो) संकायों द्वारा प्रस्तावित की गई गवेषणा संबंधी परियोजनाओं तथा विद्या संबंधी कार्यक्रमों पर विचार करना तथा अपनी सिफारिशों के साथ उन्हें कार्य परिषद् को अग्रेषित करना तथा अन्तर्संकाय आधार पर परियोजनाएं आरंभ करने के लिए अन्तर्संकाय समन्वय स्थापित करना;

(तीन) संकायों को विद्या संबंधी नये कार्यक्रमों का सुझाव देना और विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों का समय-समय पर विद्या संबंधी मूल्यांकन करना;

(चार) विभागों, गवेषणा तथा विशेषित अध्ययन संस्थाओं, प्रयोगशालाओं तथा संग्रहालयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव करना;

(पांच) अध्यापन पदों को संस्थित करने तथा ऐसे पदों के कर्तव्य विहित करने के लिए प्रस्ताव करना;

(छह) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों के कार्यकरण का समय-समय पर मूल्यांकन करना;

(सात) योजना की प्रगति का नियतकालिक रूप से मूल्यांकन करना.

गठित किए जाने वाले बोर्ड.

३४. (१) विश्वविद्यालय में ऐसे अन्य बोर्ड होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

(२) उपधारा (१) के अधीन गठित किए गए बोर्ड का गठन, अवधि, शक्तियां तथा कर्तव्य वहीं होंगे जो कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

अध्याय-५ वित्त

विश्वविद्यालय निधि.

३५. (१) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जो विश्वविद्यालय निधि कहलाएगी.

(चार) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करने के लिए प्रस्ताव करना और उनके प्रदान किए जाने के लिए नियम बनाना;

(पांच) किसी शिक्षण संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जाने संबंधी आवेदन पर विचार करना :

परन्तु किसी भी ऐसे आवेदन पर उस समय तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी संस्था को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया गया है;

(छह) व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में मान्यता देने के लिए अर्हताएं विहित करना तथा ऐसी मान्यता प्रदान करना;

(सात) परीक्षाओं के संचालन के लिए इंतजाम करना तथा परीक्षाफल तैयार करने के लिए परीक्षाफल समितियों की या अन्य व्यक्तियों या दोनों की जैसा कि वह उचित समझे, नियुक्ति करना और ऐसे परीक्षाफल प्रकाशित किए जाने के लिए कार्य परिषद् को रिपोर्ट करना;

(आठ) किसी विषय में प्रख्यात व्यक्तियों को इस प्रयोजन से मान्यता देना कि वे उस विषय में गवेषणा के संबंध में मार्गदर्शन (गाईड) करें.

(२) विद्या परिषद् एक स्थायी समिति की नियुक्ति कर सकेगी जिसमें कि उसके (विद्या परिषद के) सदस्य होंगे. उक्त स्थायी समिति के गठन, शक्तियों तथा कृत्यों का अवधारण परिनियमों द्वारा किया जाएगा.

संकाय. ३०. (१) विश्वविद्यालय में परिनियमों द्वारा विहित किए गए अनुसार एक या अधिक संकाय होंगे;

(२) प्रत्येक संकाय में एक संकायाध्यक्ष तथा ऐसे अन्य सदस्य होंगे और उसे ऐसी शक्तियां होंगी तथा वह ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए;

(३) प्रत्येक संकाय में ऐसे विभाग होंगे जो कि उसे अध्यादेशों द्वारा सौंपे जाएं;

(४) संकायाध्यक्ष, कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केन्द्रों या महाविद्यालय के उन आचार्यों में से, जो उक्त विषय के अध्यापक हैं, दो वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु यदि विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केन्द्रों में ऐसा आचार्य नहीं है जो उक्त विषय का अध्यापन कार्य कर रहा है तो संकायाध्यक्ष, सम्बद्ध महाविद्यालयों के उन आचार्यों में से, जो उक्त विषयों के अध्यापक हैं, नियुक्त किया जाएगा;

(५) संकायाध्यक्ष संकाय का अध्यक्ष होगा और वह संकाय से संबंधित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक अनुपालन के लिए तथा अध्यापन एवं गवेषणा के संचालन तथा उनके स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(६) संकायाध्यक्ष को संकाय के किसी भी अध्ययन बोर्ड के किसी भी सम्मिलन में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा किन्तु उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा.

अध्ययन बोर्ड. ३१. (१) उपाधि पाठ्यक्रमों के लिए, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, प्रत्येक विषय या विषयों के समूह हेतु एक अध्ययन बोर्ड होगा.

(२) प्रत्येक बोर्ड में ऐसे व्यक्ति होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

अध्ययन बोर्ड की शक्तियां तथा उनके कृत्य. ३२. अध्ययन बोर्ड की ऐसी शक्तियां होंगी तथा वह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड. ३३. (१) विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति-पदेन अध्यक्ष (चेयरमेन)

(दो) कुलाधिसचिव;

(तीन) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(४) तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी जिसमें से कुलपति और उपधारा (१) के खण्ड (चार) या (पांच) में से किसी एक सदस्य की उपस्थिति अत्यावश्यक होगी.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

विद्या परिषद.

२८. (१) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(एक) कुलपति;

(दो) कुलाधिसचिव;

(तीन) निदेशक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश;

(चार) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल;

(पांच) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(छह) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;

(सात) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष;

(आठ) चार प्राचार्य, जिनमें से दो सम्बद्ध महाविद्यालय से और दो सम्बद्ध पॉलीटेकनिकों से होंगे जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(नौ) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में से दो आचार्य जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किए जाएंगे;

(दस) विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों से दो उपाचार्य, जिनमें से एक महिला अध्यापक होगी और जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किए जाएंगे;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय का कुल सचिव-सदस्य सचिव.

(२) विद्या परिषद् के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी :—

परन्तु स्थगित सम्मिलन के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी.

(३) विद्या परिषद् को किसी ऐसे विशिष्ट कामकाज को जो कि परिषद् के समक्ष विचारार्थ आए विषय वस्तु का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करने की शक्ति होगी. इस प्रकार सहयोजित किए गए सदस्यों को, ऐसे कामकाज के, जिसके कि संबंध में वे सहयोजित किए गए हैं, संपादन के बारे में परिषद् के सदस्यों के समस्त अधिकार होंगे.

(४) विद्या परिषद् के समस्त सदस्य, जो पदेन सदस्यों से तथा उपधारा (३) में निर्दिष्ट किए गए सदस्यों से भिन्न हों, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे.

विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कर्तव्य.

२९. (१) विद्या परिषद् को, इस अधिनियम, परिनियमों, तथा अध्यादेशों द्वारा उसमें निहित की गई समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होंगी तथा वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखना तथा शिक्षण के तरीकों के संबंध में, ऐसे महाविद्यालयों में, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो, या जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हों, सहकारी अध्यापन के संबंध में, गवेषणा के मूल्यांकन के संबंध में या विद्या संबंधी स्तर विषयक सुधारों के संबंध में निदेश देना;

(दो) या तो स्वप्रेरणा पर या संकाय या कार्य परिषद् द्वारा किए गए निर्देश पर विद्या संबंधी सामान्य हित के विषयों के संबंध में विचार करना और उन पर समुचित कार्यवाही करना;

(तीन) (क) अध्ययन बोर्ड को विभाग आवंटित करने के लिए प्रस्ताव करना;

(ख) अधिसदस्यों (फैलोज) को तथा उसके अपने सदस्यों को संकाय के लिए नियत करना;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(इकतालीस) विद्या परिषद् द्वारा विरचित विनियमों को प्रतिगृहीत करना, अस्वीकार करना, या विद्या परिषद् को और विचारार्थ वापस करना किन्तु उनमें संशोधन न करना;

(बयालीस) कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के व्यथा-निवेदनों (ग्रीवांस) को ग्रहण करना, उन्हें न्यायनिर्णीत करना और यदि ठीक समझा जाए तो उनके संबंध में प्रतितोष देना;

(तैंतालीस) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन करना जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं;

(चौवालीस) विश्वविद्यालय की समस्त ऐसी शक्तियों का, जो इस अधिनियम या परिनियमों में अन्यथा उपबंधित नहीं की गई हैं तथा समस्त ऐसी अन्य शक्तियों का जो इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित है, प्रयोग करना;

(पैंतालीस) अपनी कोई भी शक्तियां विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को या उसके (कार्य परिषद् के) द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति को, जैसा कि वह उचित समझे, विनियमों द्वारा प्रत्यायोजित करना.

वित्त समिति.

२७. (१) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त समिति का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति;

(दो) विश्वविद्यालय का कुलसचिव;

(तीन) विश्वविद्ययालय का वित्त अधिकारी;

(चार) जनशक्ति नियोजन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव के पद से निम्न पद का न हो;

(पांच) वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो.

(२) वित्त समिति, विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करेगी;

(३) इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, वित्त समिति, निम्नानुसार शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी :—

(क) विश्वविद्यालय के आय और व्यय का पुनर्विलोकन करना;

(ख) वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय का वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करना और उसको कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु रखना और समय-समय पर उसमें संशोधन करने का सुझाव देना;

(ग) विश्वविद्यालय के आय और व्यय के संबंध में, प्रस्तावों को मंजूर करना और उन पर विनिश्चय करना;

(घ) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और वार्षिक संपरीक्षा को समय पर पूरा करवाना और रिपोर्ट के प्रकाश में समुचित निदेश देना;

(छब्बीस) एक महाविद्यालय संहिता तैयार करना जिसमें महाविद्यालयों के सम्बद्ध किए जाने संबंधी निबंधन तथा शर्तें अधिकथित की जाएगी;

(सत्ताईस) सम्बद्ध महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं या छात्रावासों से रिपोर्ट, विवरणियां तथा अन्य जानकारी मंगवाना.

(अट्ठाईस) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रवेश, निवास, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण करना तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिए इंतजाम करना;

(उन्तीस) परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में सम्मानिक उपाधियां तथा विद्या संबंधी विशिष्टताएं प्रदान करने की कुलाधिपति से सिफारिश करना;

(तीस) परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं को प्रदान करना या उनका प्रत्याहरण करना;

(इक्कतीस) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, छात्र सहायता वृतियां, पदक तथा पारितोषिक संस्थित करना;

(बत्तीस) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, जो कुलपति से भिन्न हों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनके कर्तव्य और उनकी सेवा शर्तें परिनिश्चित करना और अस्थाई रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(तैंतीस) विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारीवृन्द के सदस्यों में अनुशासन का विनियमन तथा प्रवर्तन परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार करना;

(चौंतीस) किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त संस्था के कर्मचारीवृन्द के सदस्य को विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में मान्यता देना और ऐसी मान्यता का प्रत्याहरण करना.

(पैंतीस) परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा अन्य जांचों (टेस्ट्स) के संचालन का तथा उनके परिणामों को प्रकाशित करने का इंतजाम करना;

(छत्तीस) अनाचार (मालप्रेक्टिस) की दशा में परीक्षाओं को अंशत: या पूर्णत: रद्द करना तथा ऐसे अनाचार के दोषी पाये गये किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही करना जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों का निष्कासन (रस्टीकेशन) आता है;

(सैंतीस) विश्वविद्यालय में नामांकित किए गए विद्यार्थियों, जिनके अन्तर्गत किन्हीं भी परीक्षाओं के अभ्यर्थी आते हैं, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना;

(अड़तीस) कर्मचारीवृन्द के विरुद्ध तथा अन्तरीक्षकों (इन्वेजीलेटर्स), परीक्षकों आदि के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई करना;

(उन्चालीस) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभार, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं, नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना.;

(चालीस) अध्यादेश बनाना, उनमें संशोधन करना और उन्हें रद्द करना;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(सत्रह) निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना :—

(क) मुद्रण तथा प्रकाशन ब्यूरो;

(ख) सूचना ब्यूरो;

(ग) नियोजन ब्यूरो;

(अठारह) निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करना :—

(क) (एक) बहिर्वर्ती (एक्सट्राम्यूरल) अध्यापन तथा गवेषणा;

(दो) विश्वविद्यालय विस्तार संबंधी क्रियाकलाप;

(तीन) पत्राचार पाठयक्रम;

(ख) विद्यार्थी संघ;

(ग) विद्यार्थी कल्याण;

(घ) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप;

(ङ) समाज सेवा स्कीमें; और

(च) राष्ट्रीय कैडेट कोर;

(उन्नीस) विद्या परिषद् के समस्त प्रस्तावों की, बजट के ढांचे के भीतर उनके निष्पादन की दृष्टि से समीक्षा करना;

(बीस) ऐसे आचार्य पदों, उपाचार्य पदों, प्राध्यापक पदों या अन्य अध्यापन पदों को, जिनका कि प्रस्ताव विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड द्वारा किया जाए, संस्थित करना :

परन्तु कोई भी अध्यापन पद मध्यप्रदेश शासन, जनशक्ति नियोजन विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा;

(इक्कीस) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन करना;

(बाईस) विश्वविद्यालय के किन्हीं आचार्य पदों, उपाचार्य पदों, प्राध्यापक पदों या अन्य अध्यापन पदों को, उनके संबंध में विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने पर समाप्त करना या निलंबित करना;

(तेईस) महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, गवेषणा या विशेषित अध्ययन संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा छात्रावासों की स्थापना करना, उन्हें संधारित करना तथा उनका प्रबंध करना;

(चौबीस) छात्रावासों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए आवास स्थान की व्यवस्था करना;

(पच्चीस) सम्बद्ध महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं तथा छात्रावासों के निरीक्षण का इंतजाम करना तथा उनके निरीक्षण के लिए निदेश देना और उनकी दक्षता बनाए रखने तथा उनके कर्मचारी वृन्द के सदस्यों के लिए नियोजन की उचित शर्तों को तथा पर्याप्त वेतनों के संदाय को सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी करना और ऐसे अनुदेशों की अवहेलना की जाने की दशा में, सम्बद्ध करने या मान्यता देने की शर्तों में, विद्या परिषद् की सिफारिश पर, उपान्तरण करना या ऐसे अन्य उपाय करना जिन्हें कि वह उस संबंध में आवश्यक तथा उचित समझे;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ग) किसी लघुशीर्ष के भीतर की पांच हजार रुपये से अनधिक किसी रकम को, एक अधीनस्थ शीर्ष से किसी अन्य अधीनस्थ शीर्ष को या एक प्रधान इकाई से दूसरी प्रधान इकाई को अंतरित किए जाने की मंजूरी देना;

(सात) विश्वविद्यालय की ओर से निधियां उधार लेना तथा उधार देना :

परन्तु निधियां विश्वविद्यालय-सम्पत्ति की प्रतिभूति पर मध्यप्रदेश शासन, जनशक्ति नियोजन विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना, उधार नहीं ली जाएंगी;

(आठ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को अंतरित करना :

परन्तु विश्वविद्यालय की किसी भी स्थावर सम्पत्ति का बंधक, विक्रय, विनिमय, दान के रूप में या अन्यथा अन्तरण राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं;

(नौ) इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उसमें फेरफार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें रद्द करना;

(दस) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का रूप अवधारित करना, उसकी अभिरक्षा की व्यवस्था करना तथा उसके उपयोग को विनियमित करना;

(ग्यारह) समस्त महाविद्यालयों तथा छात्रावासों की वित्तीय अपेक्षाओं का पूर्ण विवरण प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश शासन, जनशक्ति नियोजन विभाग के समक्ष रखना;

(बारह) विद्या परिषद् की सिफारिश पर और इस अधिनियम एवं परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और इन विशेषाधिकारों में से किसी भी विशेषाधिकार का प्रत्याहरण करना तथा उस रीति में तथा उन शर्तों के अधीन, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में विहित की गई है महाविद्यालयों का प्रबंध ग्रहण करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन विभाग, प्राध्ययन केन्द्र या महाविद्यालयों को स्वशासी संस्था के रूप में घोषित करना :

परन्तु स्वायत्ता, जो विश्वविद्यालय के प्रत्येक ऐसे अध्यापन विभाग, प्रत्येक ऐसे प्राध्ययन केन्द्र या प्रत्येक ऐसे महाविद्यालयों को प्राप्त हो सकेगी, की सीमा ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए तथा वे विषय, जिनके कि संबंध में वह ऐसी स्वायत्ता का प्रयोग कर सकेगा, ऐसे होंगे जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं;

(चौदह) विश्वविद्यालय का कार्य चलाने के लिए आवश्यक भवन, परिसरों, फर्नीचर, साधित्रों (एपरेट्स), पुस्तकों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के पक्ष में न्यासों, वसीयतों (विक्वेस्ट्स), दानों और किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के अंतरणों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिगृहीत करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं तथा विनिधानों का प्रबंध करना और उनका विनियमन करना;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(दस)	निदेशक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश;	सदस्य
(ग्यारह)	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की केन्द्रीय क्षेत्रीय समिति, भोपाल का अध्यक्ष;	सदस्य
(बारह)	तकनीकी तथा प्रबंधकीय अनुभव रखने वाले दो प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;	सदस्य
(तेरह)	किसी राष्ट्रीय तकनीकी संस्था से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र का एक शिक्षाविद जिसे कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;	सदस्य
(चौदह)	कुल सचिव;	सदस्य-सचिव

(२) कार्य परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे.

(३) कार्य परिषद् के सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी :

परन्तु स्थगित सम्मिलन के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी.

कार्य परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य.

२६. इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कार्य परिषद् सर्वोच्च प्राधिकारी होगी तथा उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वह निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को धारणा करना, उन पर नियंत्रण रखना तथा उनका प्रबंध करना;

(दो) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के अधिकार में रखी निधियों का प्रबंध करना;

(तीन) वार्षिक लेखे और उनके साथ संपरीक्षा रिपोर्ट को अंगीकृत करना;

(चार) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन विरचित करना और उन्हें सभा के समक्ष विचारार्थ रखना;

(पांच) (क) वार्षिक प्राक्कलनों को, सभा के सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् अंगीकृत करना;

(ख) वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमा नियत करना जो विश्वविद्यालय के संसाधनों पर आधारित होगी, उत्पादी कार्यों की दशा में ऐसे संसाधनों के अन्तर्गत उधारों के आगम आएंगे;

(छह) खण्ड (पांच) के अध्यधीन रहते हुए, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय—

(क) बजट अनुदान की रकम कम करना;

(ख) बजट अनुदान के भीतर की किसी रकम को, एक लघुशीर्ष से किसी अन्य लघुशीर्ष को या किसी एक लघु शीर्ष के अन्तर्गत आने वाले किसी अधीनस्थ शीर्ष से किसी अन्य लघुशीर्ष के अन्तर्गत आने वाले किसी अधीनस्थ शीर्ष को अंतरित किए जाने की मंजूरी देना; या

COURT BOOK

(२) सभा के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

सभा की शक्तियां और उसके कर्तव्य.

२४. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सभा निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना;

(दो) विश्वविद्यालय की स्थूल नीतियों तथा कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना;

(तीन) वार्षिक रिपोर्टों, वार्षिक लेखाओं तथा तत्संबंधी संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना;

(चार) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना;

(पांच) सम्मानिक उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं कार्य परिषद् की अनुशंसा पर प्रदान करना;

(छह) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के कार्यों का, उस दशा में के सिवाय, जहां कि ऐसे प्राधिकारियों ने उन शक्तियों के अनुसार कार्य किया है जो कि इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई हैं, पुनर्विलोकन करना;

(सात) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो कि इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा, उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

कार्य परिषद्.

२५. (१) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक)	कुलपति;	अध्यक्ष
(दो)	जनशक्ति नियोजन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भार साधक सचिव;	सदस्य
(तीन)	वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव;	सदस्य
(चार)	व्यापम का अध्यक्ष;	सदस्य
(पांच)	उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव;	सदस्य
(छह)	सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं के दो प्राचार्य, जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे;	सदस्य
(सात)	समस्त संकायों के संकायाध्यक्ष;	सदस्य
(आठ)	विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों/सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं से दो आचार्य, जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किए जाएंगे;	सदस्य
(नौ)	सम्बद्ध पॉलीटेकनिकों से दो विभागाध्यक्ष, जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे;	सदस्य

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(तेईस) वाणिज्य तथा उद्योग संस्थाओं के दो प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(चौबीस) विश्वविद्यालय के वैतनिक अध्यापनेतर कर्मचारियों में से एक प्रतिनिधि जो उनमें से ही ऐसी रीति में निर्वाचित किया जाएगा जैसी कि परिनियमों में विहित की जाए;

खण्ड-घ

(पच्चीस) दो विद्यार्थी जो अध्ययन बोर्ड के विद्यार्थी सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए गये हों;

(छब्बीस) दो विद्यार्थी जो उन विद्यार्थियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए गए हों जो निर्वाचन के ठीक पूर्ववर्ती शैक्षणिक सत्र में विश्वविद्यालयीन टूर्नामेन्टों में भाग लेने वाली विश्वविद्यालयीन टीमों के सदस्य रह चुके हों;

समूह-ङ

(सत्ताईस) कार्य परिषद् के ऐसे सदस्य जो पूर्ववर्ती समूहों में से किसी भी समूह के अधीन सदस्य न हो;

स्पष्टीकरण :—

(एक) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक समूह के अधीन सभा का सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा;

(दो) किसी विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग, प्राध्ययन केन्द्र या महाविद्यालय में से एक से अधिक व्यक्ति, समूह-ख के किसी भी एक मद (आयटम) के अधीन नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा;

(तीन) समूह-घ के प्रयोजन के लिए, विद्यार्थी से अभिप्रेत होगा वह व्यक्ति जो—

(क) विश्वविद्यालय के किन्हीं भी महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग या प्राध्ययन केन्द्रों या किसी अन्य संस्था में, अध्यादेशों में अधिकथित निबंधनों तथा शर्तों के अधीन शिक्षण प्राप्त कर रहा हो या गवेषणा कर रहा हो; और

(ख) १०+2 स्कीम की अपनी कक्षा १२वीं की परीक्षा उस शैक्षणिक सत्र के, जिसमें कि वह निर्वाचित होना चाहता है, प्रारंभ होने की तारीख से अधिक से अधिक छह वर्ष पूर्व उत्तीर्ण कर चुका हो और उसने कक्षा १२वीं तथा उसके आगे की प्रत्येक परीक्षा एक ही प्रत्यत्न में उत्तीर्ण की है.

(२) उपधारा (१) के समूह-घ के अधीन निर्वाचित किए गए सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी.

(३) यथास्थिति, उपधारा (१) के समूह-ख तथा समूह-ग के अधीन, नामनिर्देशित या निर्वाचित किए गए सदस्यों या उपधारा (१) के समूह-ङ में सम्मिलित किए गए सदस्यों की पदावधि का पर्यवसान सभा की अवधि, जो तीन वर्ष की होगी, के पर्यवसान के साथ होगा.

(४) उपधारा (१) की मद (बीस) में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक दानदाता उस तारीख से, जिसको विश्वविद्यालय द्वारा दान प्रतिगृहीत किया जाय, ७ वर्षों तक सभा का सदस्य रहेगा और पूर्वोक्त कालावधि के दौरान वह प्रतिनिधि जो ऐसे दानदाता द्वारा समय-समय पर नामनिर्देशित किया जाए, दानदाता समझा जाएगा.

के सम्मिलन ...मबाबुर्ती. २३. (१) सभा का सम्मिलन एक कलेण्डर वर्ष में कम से कम एक बार तथा ऐसे अन्तरालों पर, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, होगा.

२२. (१) सभा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :— सभा का गठन.

COURT BOOK

समूह-क

(एक) कुलाधिपति,
(दो) कुलपति,
(तीन) कुलाधिसचिव,
(चार) संकायों के संकायाध्यक्ष,
(पांच) जनशक्ति नियोजन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव,
(छह) आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश,
(सात) संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश,
(आठ) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल,
(नौ) अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) मध्यप्रदेश,
(दस) अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् का एक नामनिर्देशिती,
(ग्यारह) संचालक, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल,
(बारह) विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष.

समूह-ख

(तेरह) विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों/प्राध्ययन-केन्द्रों/अध्ययन केन्द्रों से एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक जो परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में उनमें से निर्वाचित किए जाएंगे;

(चौदह) सम्बद्ध महाविद्यालयों से एक प्राचार्य, एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक जो परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में उनमें से निर्वाचित किए जाएंगे ;

(पन्द्रह) सम्बद्ध पॉलीटेकनिक से दो प्राचार्य, दो विभागाध्ययक्ष और दो प्राध्यापक जो परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में उनमें से निर्वाचित किए जाएंगे;

समूह-ग

(सोलह) महानिदेशक (डाइरेक्टर जनरल) मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल;

(सत्रह) निदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला परिषद् (रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी कौंसिल), भोपाल;

(अठारह) चेयरमेन, इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) मध्यप्रदेश स्टेट सेंटर, भोपाल;

(उन्नीस) इंजीनियरिंग संकाय के तीन संकायाध्यक्ष जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(बीस) विधान सभा के दो सदस्य, जो विधान सभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों में से तीन प्रतिनिधि जो उनमें से ही निर्वाचित किए जाएंगे;

(बाईस) प्रत्येक दानदाता जो विश्वविद्यालय को पांच लाख रुपये या उससे अधिक दान करता है;

COURT BOOK

परन्तु विश्वविद्यालय के प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् की जाएगी तथा वह चार वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर पद धारणा करेगा, जैसा कि कुलाधिपति अवधारित करे.

(३) परिनियमों में अन्यथा उपबंधित कार्य परिषद् की शक्तियों के अध्यधीन रहते हुए, कुलसचिव, यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धन उसी प्रयोजन के लिए व्यय किए जाते हैं जिसके लिए वे मंजूर या आवंटित किए गए हैं.

(४) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित किए गए के सिवाय, समस्त संविदाएं विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी और समस्त दस्तावेजें तथा अभिलेख विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा अधिप्रमाणीकृत किए जाएंगे.

(५) कुल सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा उसको प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष.

१९. (१) विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष, कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन इस प्रकार नियुक्त किया गया संकायाध्यक्ष पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा :

परन्तु कार्य परिषद्, यदि ऐसा करना आवश्यक समझा जाए, कुलपति की सिफारिश पर, उपाचार्य के पद से अनिम्न पद के किसी अध्यापक को ऐसे अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के साथ-साथ विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए तीन वर्ष की कालावधि हेतु नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे मामले में कार्य परिषद् उसे दिए जाने के लिए यथोचित भत्ते मंजूर कर सकेगी.

(३) विद्यार्थी कल्याण के संकायाध्यक्ष की सेवा के निर्बन्धन तथा शर्तें और उसके कर्तव्य और शक्तियां परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी.

अन्य अधिकारी.

२०. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की, जो धारा १७ के अन्तर्गत नहीं आते हैं, नियुक्ति ऐसी रीति में की जाएगी और उनकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो कि परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा विहित की जाएं.

अध्याय-४ विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

२१. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे; अर्थात् :—

(एक) सभा;

(दो) कार्य परिषद्;

(तीन) वित्त समिति;

(चार) विद्या परिषद्;

(पांच) संकाय;

(छह) अध्ययन बोर्ड;

(सात) विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड;

(आठ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

कुलाधिपति को निर्देशित करेगा और तद्नुसार उसकी इत्तिला संबंधित प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को भी देगा जो तब तक प्रभावशील नहीं किया जाएगा जब तक कि मामला कुलाधिपति द्वारा धारा ११ की उपधारा (४) के अधीन विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है.

(८) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावशील करेगा.

(९) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा विहित की जाएं.

प्रथम कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य.

१५. विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर विश्वविद्यालय की सभा, कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन करें और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति, यथास्थिति, कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् या ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा :

परन्तु कुलाधिपति, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो वह राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें एक शिक्षाविद तथा एक प्रशासन विशेषज्ञ होगा जो ऐसे प्राधिकारी के बदले में कुलपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा कृत्यों का पालन करने में सहायता एवं सलाह देगी.

कुलाधिसचिव.

१६. (१) कुलाधिसचिव की नियुक्ति कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी. यदि कार्य परिषद्, कुलपति की सिफारिश स्वीकार नहीं करती है तो मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

(२) कुलाधिसचिव विश्वविद्यालय का वैतनिक अधिकारी होगा.

(३) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कुलाधिसचिव की पदावधि, सेवा की शर्तें तथा उपलब्धियां ऐसी होंगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए तथा ऐसा विहित किए जाने तक वे ऐसी होंगी जैसा कि कुलाधिपति द्वारा अवधारित किया जाए.

(४) कुलाधिसचिव, कुलपति के ऐसे कर्तव्यों का पालन तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि उसे कुलाधिपति द्वारा, कुलपति के परामर्श से समनुदेशित किए जाएं तथा वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए.

राज्य विश्वविद्यालय सेवा के माध्यम से भर्ती.

१७. कुलसचिव तथा अन्य अधिकारियों के ऐसे अन्य संवर्गों के पद, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) के अधीन गठित की गई राज्य विश्वविद्यालय सेवा के अधिकारियों से भरे जाएंगे. ऐसे अधिकारियों की अनुपलब्धता के मामले में ऐसे पद, कुलाधिपति द्वारा उपयुक्त अधिकारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त करके, भरे जाएंगे.

कुल सचिव.

१८. (१) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुलपति के साधारण अधीक्षण तथा नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए करेगा. वह सभा के, कार्य परिषद् के, विद्या परिषद् के अन्य विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा.

(२) कुल सचिव की नियुक्ति धारा १७ के उपबंधों के अनुसार की जाएगी:

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(६) कुलपति की मृत्यु, उसके पदत्याग, छुट्टी, रुग्णता के कारण या अन्य कारण से उसका पद रिक्त होने की दशा में, जिनमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कुलाधिसचिव की नियुक्ति नहीं की गई है या कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिए नाम निर्देशित किया गया किसी भी संकाय का संकायाध्यक्ष कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जब तक कि धारा १२ की उपधारा (१) या उपधारा (७) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति अपना पद यथास्थिति ग्रहण या पुनःग्रहण न कर ले :

परन्तु इस उपधारा के अधीन अनुध्यात किया गया इंतजाम छह मास से अधिक कालावधि के लिए चालू नहीं रहेगा.

कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य.

१४. (१) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासनिक तथा विद्या विषयक् अधिकारी होगा. वह कार्य परिषद् का तथा विद्या परिषद् का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष, तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों का, जिनका कि वह सदस्य है, अध्यक्ष होगा. वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय के किसी भी सम्मिलन में उपस्थित होने तथा बोलने का हकदार होगा, किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय का सदस्य न हो.

(२) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उसे इस प्रयोजन के लिए समस्त आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी.

(३) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद् के तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों के, जिनका कि वह अध्यक्ष है, सम्मिलन बुलाने की शक्ति होगी. वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा.

(४) यदि कुलपति की राय में कोई ऐसी आपातस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें तुरन्त कार्रवाई की जाना अपेक्षित है, तो कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, यथाशीघ्र, अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को करेगा, जो कि मामूली अनुक्रम में उस मामले के संबंध में कार्रवाई करता:

परन्तु कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से विश्वविद्यालय तीन मास से अधिक कालावधि के लिए किसी भी आवर्ती व्यय हेतु वचनबद्ध नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि जहां कुलपति द्वारा की गई ऐसी कोई कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती है वहां ऐसा व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको कि उसे ऐसी कार्रवाई की संसूचना दी गई है, तीस दिन के भीतर कार्य-परिषद् को अपील प्रस्तुत करने का हकदार होगा:

परन्तु यह भी कि इस शक्ति का विस्तार अध्यादेशों, परिनियमों, विनियमों, में संशोधन या नियुक्तियों से संबंधित किसी मामले पर नहीं होगा.

(५) उपधारा (४) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई का अनुमोदन नहीं करता है, तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्देशित करेगा जिसका कि उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

(६) उपधारा (४) के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई समुचित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई समझी जाएगी जब तक कि वह उपधारा (५) के अधीन दिये गये निर्देश के प्राप्त होने पर कुलाधिपति द्वारा अपास्त नहीं कर दी गई है या उपधारा (४) के द्वितीय परन्तुक के अधीन अपील किए जाने पर कार्य परिषद् द्वारा अपास्त नहीं कर दी गई है.

(७) यदि कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय की किसी भी कार्यवाही से विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है, तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगा तथा मामला

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(४) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संसक्त है, उपधारा (२) के अधीन समिति के लिये निर्वाचित या नामनिर्देशित नहीं किया जायेगा.

(५) समिति अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर या कुलाधिपति द्वारा बढ़ाए गए चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर तालिका प्रस्तुत करेगी.

(६) यदि किन्हीं कारणों से वह समिति, जो उपधारा (२) के अधीन गठित की गई है, उपधारा (५) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहती है, तो कुलाधिपति एक अन्य समिति गठित करेगा जिसमें तीन ऐसे व्यक्ति होंगे, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संसक्त नहीं हैं जिनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में अभिहित किया जाएगा. इस प्रकार गठित की गई समिति अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी लघुतर कालावधि, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाय, के भीतर तीन व्यक्तियों की तालिका प्रस्तुत करेगी.

(७) यदि उपधारा (६) के अधीन गठित की गई समिति उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो कुलाधिपति, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, कुलपति के रूप में नियुक्त कर सकेगा.

कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें, कुलपति की पदावधि तथा उसके पद में रिक्ति.

१३. (१) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी उपलब्धियां एवं सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी.

(२) कुलपति चार वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह दो से अधिक पदावधियों के लिये नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाए और वह अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में छह मास से अधिक नहीं होगी.

(३) यदि किसी समय अभ्यावेदन किया जाने पर या अन्यथा और ऐसी जांच, जो कि आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात् कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति ने—

(एक) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किए गए किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है; या

(दो) विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य किया है; या

(तीन) वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ है तो कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, एक लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कारणों का विवरण रहेगा, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपना पद त्याग दे.

(४) उपधारा (३) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा यदि उन आधारों की विशिष्टियां, जिन पर कि ऐसी कार्रवाई का किया जाना प्रस्तावित है, कुलपति को संसूचित नहीं कर दी गई हैं तथा उसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है.

(५) उपधारा (३) के अधीन के आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से यह समझा जायेगा कि कुलपति ने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जाएगा.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(४) कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा,—

(क) विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या निकाय की, जिसका गठन इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किया गया है, किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों को, जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप नहीं है; या

(ख) किसी प्राधिकारी, समिति या किसी अन्य निकाय की किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों को, जो कुलपति द्वारा धारा-१४ को उपधारा (७) के अधीन उसे निर्देशित की गई है, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं,

बातिल कर सकेगा :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश करने के पूर्व वह संबंधित अधिकारी प्राधिकारी, समिति या निकाय को यह कारण दर्शाने के लिए अपेक्षित करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि उसके द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर कोई कारण दर्शाया जाए, तो वह उस पर विचार करेगा.

(५) जहां कुलाधिपति उपधारा (४) के अधीन कार्यवाहियों को बातिल करते हुए कोई आदेश पारित करता है तो वह उसके संबंध में इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप ऐसा पश्चातवर्ती आदेश कर सकेगा जैसा कि वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे और इस प्रकार किया गया आदेश अंतिम होगा.

(६) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति के पुष्टिकरण के अध्ययधीन होगी.

(७) कुलाधिपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाएं.

कुलपति की नियुक्ति.

१२. (१) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (२) या उपधारा (६) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए प्रौद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात कम से कम तीन व्यक्तियों की तालिका (पैनल) में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी :

परन्तु यदि समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति नियुक्ति प्रतिगृहीत करने के लिए रजामंद न हो तो कुलाधिपति ऐसी समिति से नई सिफारिशें मंगा सकेगा :

परन्तु यह और भी कि प्रथम कुलपति राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा.

(२) कुलाधिपति एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक) कार्य परिषद् द्वारा निर्वाचित किया गया एक व्यक्ति;

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक व्यक्ति,

कुलाधिपति इन तीन व्यक्तियों में से एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा.

(३) उपधारा (२) के अधीन समिति गठित करने के लिए, कुलाधिपति, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छह मास पूर्व, कार्य परिषद् तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष को अपने-अपने नामनिर्देशितियों को चुनने के लिए अपेक्षित करेगा और यदि उनमें से कोई भी या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहे, तो कुलाधिपति यथास्थिति, पुनः किसी एक या दोनों व्यक्तियों को नाम निर्देशित कर सकेगा.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

करेगा तथा उस पर कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात्, विश्वविद्यालय या प्रबंधक वर्ग को की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में सलाह देगा :

परन्तु जहां निरीक्षण या जांच राज्य सरकार द्वारा निवेदन किया जाने पर करवाई गई है, वहां कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, इस उपधारा के अधीन कार्रवाई करेगा.

(४) यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को ऐसी कार्रवाई की, यदि कोई हो, जो उसने ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप की है या जिसका करना वह प्रस्तावित करे, सूचना देगा और ऐसी रिपोर्ट, ऐसे समय के भीतर, जैसा कि कुलाधिपति निदेश दे, भेजी जाएगी.

(५) जहां कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति के समाधान योग्य कार्रवाई न करे, वहां कुलाधिपति, कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, राज्य सरकार के परामर्श से ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे, और यथास्थिति कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा.

अध्याय-३ विश्वविद्यालय के अधिकारी

१०. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :— विश्वविद्यालय के अधिकारी.

(एक) कुलाधिपति;

(दो) कुलपति;

(तीन) कुलाधिसचिव (रेक्टर);

(चार) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(पांच) कुल सचिव;

(छह) विद्यार्थी-कल्याण का संकायाध्यक्ष; और

(सात) विश्वविद्यालय की सेवा में के ऐसे अन्य अधिकारी, जो कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं.

११. (१) मध्यप्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा. कुलाधिपति और उसकी शक्तियां.

(२) कुलाधिपति, अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का अध्यक्ष होगा और जब वह उपस्थित हो, सभा के सम्मिलनों की या विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा.

(३) कुलाधिपति—

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित कोई भी कागज-पत्र या जानकारी मंगा सकेगा; और

(ख) अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, धारा ५५ के अधीन आने वाले मामले के सिवाय कोई भी मामला विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसने ऐसे मामले पर पूर्व में विचार किया हो, पुनर्विचार के लिए निर्देशित कर सकेगा.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ग) अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाने या सम्मिलित किए जाने; या

(घ) किसी उपाधि, उपाधिपत्र या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं या अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए जाने या किसी उपाधि, उपाधिपत्र या अन्य विद्या संबंधी विशिष्टता के लिए अर्हित होने; या

(ङ) विश्वविद्यालय के किन्हीं भी विशेषाधिकारों या उसकी उपकृति का उपभोग या प्रयोग करने; या

(च) विन्यास का सृजन करने के लिए निधियों का संदान करने का हकदार बनाने के लिए धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या अन्य विचारधारा संबंधी कोई परीक्षण या शर्त अधिरोपित करे :

परन्तु विश्वविद्यालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए या तो शिक्षा, शिक्षण या निवास हेतु किसी महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक या संस्था को अनन्य रूपेण महिलाओं के लिए चला सकेगा या विश्वविद्यालय द्वारा चलायी जा रही या नियंत्रित किए जा रहे किसी महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक या संस्था में, विद्यार्थियों के रूप में प्रवेश देने के प्रयोजनों हेतु महिलाओं के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित कर सकेगा :

परन्तु यह और भी कि इस धारा में की किसी भी बात के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा करती है कि वह परिनियमों या अध्यादेशों में विहित की गई संख्या से अधिक संख्या में या परिनियमों अथवा अध्यादेशों में विहित की गई शैक्षणिक या अन्य अर्हताओं से कम अर्हता वाले विद्यार्थियों को किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश दे.

विश्वविद्यालय में अध्यापन.

८. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के संबंध में समस्त मान्यता प्राप्त अध्यापन कार्य, ऐसे अध्यापन का आयोजन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी एवं पाठ्यचर्या ऐसी होगी जैसा कि यथास्थिति परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित किया जाए.

विश्वविद्यालय में निरीक्षण.

९. (१) कुलाधिपति, स्वप्रेरणा से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें कि वह निदेश दे, विश्वविद्यालय का, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों, कर्मशालाओं तथा साज-सज्जा का और ऐसे किसी महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक या संस्था जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता है, या जिसे उसके विशेषाधिकार दिये गये हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं या उसके द्वारा किए गए अध्यापन तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवा सकेगा, तथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक या संस्थाओं में प्रवेश, उनके प्रशासन या वित से संबंधित किसी भी मामले के बारे में वैसी ही रीति में जांच करवा सकेगा तथा राज्य सरकार द्वारा निवेदन किया जाने पर उपरोक्त रीति में यथास्थिति निरीक्षण या जांच करवाएगा.

(२) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण करवाने या जांच करवाने के अपने आशय की सूचना—

(क) विश्वविद्यालय को देगा, यदि ऐसा निरीक्षण या जांच विश्वविद्यालय के संबंध में या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक या संस्था के संबंध में की जानी है;

(ख) महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक या संस्था के प्रबंधक वर्ग को देगा, यदि ऐसा निरीक्षण या जांच किसी महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक या संस्था के संबंध में, जिसे कि विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं, की जानी है और यथास्थिति विश्वविद्यालय या प्रबंधक वर्ग इस बात के लिए हकदार होगा कि वह एक प्रतिनिधि नियुक्त करे जिसे यह अधिकार होगा कि वह ऐसे निरीक्षण या ऐसी जांच के समय उपस्थित रहे तथा उस समय उसकी सुनवाई की जाए.

(३) ऐसा व्यक्ति ऐसे निरीक्षण या ऐसी जांच के परिणाम की रिपोर्ट कुलाधिपति को देगा और कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में अपने विचार कुलपति के माध्यम से, यथास्थिति कार्यपरिषद् या उक्त प्रबंधक वर्ग को संसूचित

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(३४) जहां कहीं चुने गये अभ्यार्थियों की सूची व्यापम द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं वहां विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी मापदण्ड, जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या जांच की कोई अन्य पद्धति आती है अवधारित करना;

(३५) महिला विद्यार्थियों की दशा में ऐसे विशेष इंतजाम करना जिन्हें कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(३६) कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना;

(३७) समस्त ऐसे कार्य तथा बातें, चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हों या न हों, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपेक्षित हैं, करना.

६. (१) विश्वविद्यालय को अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा. अधिकारिता.

(२) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक या संस्था के संबंध में जो इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिक विषयों में, जिनमें स्थापत्यकला और औषध निर्माण विज्ञान के विषय भी सम्मिलित हैं, शिक्षा दे रहा है और उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्र की सीमाओं में स्थित है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसी तारीख से, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, विश्वविद्यालय से सहयुक्त है और उसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार मिल गए हैं और वह परिनियम या विनियम द्वारा विहित की गई रीति में अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड से सहयुक्त नहीं रहेगा.

(३) इस धारा में की कोई भी बात,—

(क) ऐसे महाविद्यालयों या पॉलीटेकनिकों या संस्थाओं को जिन्हें अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् (आल इण्डिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजूकेशन) तथा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है;

(ख) ऐसे महाविद्यालयों या पॉलीटेकनिकों या संस्थाओं को, जो अनन्य रूपेण कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में शिक्षा दे रही है और जिन्हें राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषाधिकार मिल गए हैं या जिनके संबंध में यह समझा जाय कि उन्हें उक्त विशेषाधिकार मिल गए हैं;

(ग) किसी विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापन विभाग को, जो इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी जिसके अन्तर्गत वास्तुविद (आर्किटेक्चर) तथा औषध निर्माण विज्ञान (फार्मेसी) भी है, विषयों के अध्यापन में पूर्व से ही लगा हुआ है,

लागू नहीं होगी.

(४) ऐसे महाविद्यालयों या पॉलीटेकनिकों या संस्थाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं, किए जा रहे गवेषणा और विकास संबंधी कार्यों को विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों में ऐसी तारीख या तारीखों से समन्वित और एकीकृत किया जाएगा जो कि विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालयों या पॉलीटेकनिकों या संस्थाओं द्वारा पारस्परिक सहमति से नियत की जाएं.

७. विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को— विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.

(क) विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करने; या

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य होने; या

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(२३) निम्नलिखित के लिये व्यवस्था करना—

(क) बहिर्वर्ती (एक्सट्राम्यूरल) अध्यापन तथा विस्तारी सेवा;

(ख) पत्राचार पाठ्यक्रम;

(ग) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप;

(घ) समाज सेवा स्कीमें;

(ङ) राष्ट्रीय कैडेट कोर;

(च) छात्र संघ;

(२४) संघ या राज्य सरकार के अधीन सेवाओं के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रशिक्षण की तथा ऐसे अन्य प्रशिक्षण को जो राष्ट्रीय विकास में सहायक हो, व्यवस्था करना;

(२५) निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना :—

(क) सूचना ब्यूरो;

(ख) नियोजन ब्यूरो; और

(ग) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग;

(२६) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने हेतु इंतजाम करना;

(२७) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों की जो कि अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं मांग करना तथा उनका संदाय प्राप्त करना;

(२८) ऐसी फीस तथा ऐसे अन्य प्रभार जो महाविद्यालयों द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे या वसूल किये जा सकेंगे विहित करना तथा उनका नियंत्रण करना;

(२९) प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(३०) विश्वविद्यालय के वैतनिक अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों पर परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार नियंत्रण रखना;

(३१) न्यासों तथा विन्यासों (एंडाउमेंट्स) को धारण करना और उनका प्रबंध करना तथा अध्येतावृत्तियां (फेलोशिप्स), छात्रवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां (एक्जीविशन्स), वजीफा (बर्सरीज), पदक एवं अन्य पुरस्कार संस्थित तथा प्रदान करना;

(३२) संदान तथा अनुदान प्राप्त करना और निधियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विनिहित करना;

(३३) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की संपत्ति पर, प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

इस प्रकार पूरा कर लेने के बारे में उस अध्यापन विभाग या प्राध्ययन केन्द्र के विभागाध्यक्ष या उस महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक के प्राचार्य का प्रमाण-पत्र पेश नहीं कर देता है;

(११) उन व्यक्तियों को जिन्होंने अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन गवेषणा कार्य किया है, उपाधि तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;

(१२) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का उचित तथा पर्याप्त कारणों से प्रत्याहरण करना;

(१३) अनुमोदित व्यक्तियों को परिनियमों में विहित की गई रीति में सम्मानिक उपाधियां या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;

(१४) ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रूप में नामांकित नहीं हैं, ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हें ऐसे उपाधि पत्र तथा प्रमाण-पत्र प्रदान करना, जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(१५) ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित की गई हैं, उन महाविद्यालयों या पॉलीटेकनिक को, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नहीं हैं, अपने विशेषाधिकार देना, ऐसे समस्त विशेषाधिकारों का या उनमें से किसी भी विशेषाधिकार का प्रत्याहरण करना और महाविद्यालयों या पॉलीटेकनिकों का प्रबंध ग्रहण करना;

(१६) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन विभाग, प्राध्ययन केन्द्र या किसी महाविद्यालयों या पॉलीटेकनिकों को स्वशासी महाविद्यालयों या पॉलीटेकनिक के रूप में घोषित करना :

परन्तु स्वायत्तता, जो विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापन विभाग, ऐसे प्राध्ययन केन्द्र या ऐसे महाविद्यालय या ऐसे पॉलीटेकनिक को प्राप्त हो सकेगी, की सीमा ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाये तथा वे विषय, जिनके कि संबंध में वह ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग कर सकेंगे, ऐसे होंगे, जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं;

(१७) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों या पॉलीटेकनिकों में अध्यापन तथा गवेषणा कार्य का संचालन करना, समन्वय करना, विनियमन करना तथा नियंत्रण करना;

(१८) परिनियमों तथा अध्यादेशों में विहित की गई रीति में ऐसे छात्रावासों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नहीं हैं, मान्यता देना तथा किसी ऐसी मान्यता का प्रत्याहरण करना;

(१९) महाविद्यालयों या पॉलीटेकनिकों या संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि उनमें शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण का उचित स्तर बनाए रखा जाता है;

(२०) समाज के कमजोर वर्गों के तथा विशिष्टत: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक हित को विशेष रूप से ध्यान देते हुए संप्रवर्तित करना;

(२१) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा पूर्व छात्रों के लिए पुन: सद्यक पाठ्यक्रमों (रिफ्रेसर कोर्सेस) तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (वोकेशनल कोर्सेस) की सुविधायें देना;

(२२) ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों के साथ सहयोग तथा सहकार करना;

COURT BOOK

(ङ) विद्यार्थियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थाओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना;

(च) पूर्व छात्रों के साथ जीवन्त सम्पर्क बनाए रखना और पूर्व छात्रों द्वारा प्रायोजित किए गए कार्यक्रमों को विकसित करना.

विश्वविद्यालय की शक्तियां. ५. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(१) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण के लिए व्यवस्था करना और गवेषणा कार्य तथा ज्ञान के अभिवर्धन एवं प्रसार के लिए व्यवस्था करना;

(२) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, शिक्षण जिसके अन्तर्गत पत्राचार तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रम, जिन्हें कि वह अवधारित करे, आते हैं, देने के लिए व्यवस्था करना :

परन्तु विश्वविद्यालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, पत्राचार के माध्यम से शिक्षण नहीं देगा;

(३) अध्यापन तथा गवेषणा के लिये, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा अन्य साज-सज्जा का आयोजन करना;

(४) महाविद्यालयों, पॉलीटेकनिकों, अध्यापन—विभागों, प्राध्यापन केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, छात्रावासों तथा अतिथि-गृहों को स्थापित करना, संधारित करना तथा उनका प्रबंध करना;

(५) (क) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद तथा विद्या संबंधी कोई अन्य पद या कोई अध्यापन पद संस्थित करना और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(ख) ऐसे व्यक्तियों को, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये नियुक्त करना;

(६) अध्यापकों को इस रूप में मान्यता देना कि वे संस्थाओं में शिक्षण देने के लिए अर्हित हैं;

(७) किसी विषय में प्रख्यात व्यक्तियों को इस प्रयोजन से मान्यता देना कि वे उस विषय में गवेषणा के संबंध में मार्गदर्शन करें;

(८) विभिन्न परीक्षाओं के लिये शिक्षण-क्रम अधिकथित करना;

(९) उपाधियां, उपाधिपत्र, प्रमाण-पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टतायें संस्थित करना;

(१०) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षाओं, मूल्यांकन या जांच की किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना :

परन्तु विश्वविद्यालय की किसी उपाधि या उपाधि-पत्र तक पहुंचाने वाली परीक्षा में किसी भी व्यक्ति को तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने, यदि उसने ऐसी परीक्षा के लिए ऐसा विषय लिया है, जिसके कि लिये प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य का पाठ्यक्रम विहित किया गया है, ऐसा कार्य विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक में पूरा नहीं कर लिया है तथा जब तक कि वह उस कार्य के

COURT BOOK

(चौबीस) ''अनुसूचित जनजातियों'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई अनुसूचित जनजातियां;

(पच्चीस) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-८५-पच्चीस-४-८४, तारीख २६ दिसम्बर, १९८४ द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग;

(छब्बीस) ''विधान सभा'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा;

(सत्ताईस) ''व्यापम'' से अभिप्रेत है व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश, भोपाल;

(अट्ठाईस) ''बोर्ड'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड;

(उनतीस) ''सभा'' (कोर्ट) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट);

(तीस) ''अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद'' से अभिप्रेत है अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, १९८७ (१९८७ का संख्यांक ५२) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद;

अध्याय—२ विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का निगमन.

३.(१) विश्वविद्यालय का कुलाधिपति तथा प्रथम कुलपति और विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट), कार्यपरिषद् और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य विश्वविद्यालय का गठन करेंगे तथा इस प्रकार गठित किया गया विश्वविद्यालय राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय होगा;

(२) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा;

(३) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने तथा धारण करने, किसी ऐसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जो कि उसमें निहित हो गई हो, या विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा अर्जित की गई है, पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अंतरित करने तथा संविदा करने और ऐसी समस्त अन्य बातें, जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक है, करने के लिए सक्षम होगा;

(४) विश्वविद्यालय का मुख्यालय भोपाल में होगा.

उद्देश्य.

४. विश्वविद्यालय के अन्य बातों के साथ निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे:—

(क) तकनीकी शिक्षा की ऐसी पद्धति की व्यवस्था जो तकनीकी जनशक्ति की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप होने योग्य हो;

(ख) अध्यापन तथा सीखने की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाना;

(ग) परामर्श, निरंतर चलती रहने वाली शिक्षा तथा गवेषणा और विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए अनुकूल वातावरण हेतु व्यवस्था करना;

(घ) पारस्परिक फायदों के लिए उद्योग जगत से सशक्त संबंध विकसित करना;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(बारह) "संबद्ध महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक" से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जिसे इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं;

(तेरह) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक का प्रधान और जहां कोई प्राचार्य नहीं है तो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूपेण नियुक्त किया गया है;

(चौदह) "विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षण देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किए गए किसी अध्यापन विभाग का अध्यक्ष और उसके अंतर्गत आता है किसी ऐसे संस्थान (इंस्टीट्यूट) का, जो गवेषणा कार्य में अभिवृद्धि करने के लिए या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षण देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता है, संचालक या किसी ऐसे महाविद्यालय का, जो कि गवेषणा कार्य में अभिवृद्धि करने के लिए या विद्यार्थियों को शिक्षण देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता है, प्राचार्य;

(पन्द्रह) "महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक का विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है किसी महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक का कोई विभागाध्यक्ष;

(सोलह) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" से अभिप्रेत है आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर), प्राध्यापक (लेक्चरर) तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विद्या परिषद के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक या ऐसी संस्था में, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता है या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी गई है, शिक्षण देने के लिए या गवेषणा कार्य का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं;

(सत्रह) "विश्वविद्यालय से संसक्त व्यक्ति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या किसी पॉलीटेकनिक का कोई कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का या महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक के प्रबंधक-वर्ग (मैनेजमेंट) का कोई सदस्य;

(अठारह) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति और उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय का अध्यापक तथा अन्य कर्मचारीवृन्द आता है;

(उन्नीस) "परिनियमों", "अध्यादेशों" तथा "विनियमों" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम;

(बीस) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का संख्यांक ३) के अधीन स्थापित किया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(इक्कीस) "छात्रावास" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या ऐसी संस्था के विद्यार्थियों के लिए निवास स्थान की या सामूहिक जीवन की इकाई जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्था की गई है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया गया है या मान्यता दी गई है;

(बाईस) "रजिस्ट्रीकृत स्नातक या उपाधि धारक" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया या रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा गया स्नातक या उपाधि धारक;

(तेईस) "अनुसूचित जातियों" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई अनुसूचित जातियां;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक [illegible] सन् १९९८.

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८.

[दिनांक 23 मई, 1998 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 11 जून, 1998 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

इंजीनियरी और प्रौद्योगिक विषयों में, जिनके अंतर्गत स्थापत्यकला (आर्किटेक्चर) और औषधनिर्माण विज्ञान (फार्मेसी) आते हैं, उपाधि और उपाधिपत्र स्तर पर व्यवस्थित, दक्षतापूर्ण एवं गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को स्थापित तथा निगमित करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

अध्याय--१ प्रारंभिक

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ है. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

२. अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- परिभाषाएं.

(एक) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय;

(दो) "कार्य परिषद" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्य परिषद;

(तीन) "विद्या परिषद" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्या परिषद;

(चार) "संकाय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का संकाय;

(पांच) "अध्ययन बोर्ड" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड;

(छह) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;

(सात) "कुलपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति;

(आठ) "प्राध्ययन केन्द्र" से अभिप्रेत है उच्चतर विद्या तथा गवेषणा के स्थान के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा संधारित की गई संस्था;

(नौ) "विभाग" से अभिप्रेत है प्राध्ययन विभाग और उसके अंतर्गत आता है अध्ययन केन्द्र (सेन्टर आफ स्टडीज);

(दस) "महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक" से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन संधारित किया जाता है या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं;

(ग्यारह) "स्वशासी महाविद्यालय या पॉलीटेकनिक" से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य परिषद द्वारा स्वशासी संस्था के रूप में घोषित किया गया है;

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

(झ) पूर्ववर्ती खण्डों में से किसी भी खण्ड में विनिर्दिष्ट न किए गए किन्हीं ऐसे अन्य व्ययों के, जो कि कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय घोषित किए गए हों, संदाय के लिए.

(२) कार्य-परिषद् द्वारा वर्ष के कुल आवर्ती व्यय तथा कुल अनावर्ती व्यय के लिए नियत की गई सीमाओं से अधिक कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा, कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जाएगा.

(३) उस व्यय से, जिसके कि संबंध में बजट में उपबंध किया गया है, भिन्न कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा, कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगा.

अध्याय-६ परिनियम, अध्यादेश और विनियम

३७. इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :— परिनियम.

(क) ऐसे निकायों का गठन, शक्तियां तथा कर्तव्य, जिन्हें समय-समय पर गठित करना आवश्यक समझा जाए;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किए गए निकायों के सदस्यों के निर्वाचन या नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि जिसके अंतर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना तथा सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना आता है और उन निकायों से संबंधित अन्य समस्त विषय जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय है;

(ग) कुलपति की उपलब्धियां और उसकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें, उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य;

(घ) कुलाधिसचिव की पदावधि, सेवा की शर्तें और उपलब्धियां और उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य;

(ङ) कुलसचिव एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य और उनकी सेवा की शर्तें;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के फायदे के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन और बीमा स्कीम का स्थापन तथा उपदान एवं अन्य फायदों का उपबंध;

(छ) उपाधियां प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का किया जाना;

(ज) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या-संबंधी अन्य विशिष्टताओं का प्रत्याहरण;

(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संकायों, छात्रावासों, अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों तथा महाविद्यालयों का स्थापन तथा उनकी समाप्ति;

(ट) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों का प्रत्याहरण;

(ठ) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों या महाविद्यालयों को प्राप्त हो सकने वाली स्वायत्तता की सीमा और वे विषय जिनके कि संबंध में ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग किया जा सकेगा;

(ड) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों तथा अन्य अध्यापकों की अर्हताएं;

COURT BOOK

(ढ) विन्यासों (एण्डाउमेण्ट्स) का प्रबंध और [illegible] वृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों (एक्जीबिशन्स), वजीफों (बर्सरीज), पदकों, पारितोषकों तथा अन्य पुरस्कारों का संस्थित किया जाना;

(ण) अधिकारियों की उपलब्धियों तथा उनकी सेवा के निबंधन एवं शर्तें और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, वेतनमान से भिन्न उपलब्धियां तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तें;

(त) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ज्येष्ठता अवधारित करने का ढंग;

(थ) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का बनाए रखा जाना;

(द) प्रकाशन ब्यूरो का स्थापन तथा गठन; और

(ध) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं.

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

३८. (१) धारा ३७ में दिए गए विषयों के संबंध में प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और उसकी एक प्रति विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी.

(२) कार्य परिषद्, इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित की गई रीति में, समय-समय पर, नवीन या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी और परिनियमों में संशोधन कर सकेगी या उन्हें निरस्त कर सकेगी.

(३) विद्या परिषद्, कार्य परिषद द्वारा पारित किए जाने के लिए किसी नवीन परिनियमों का या किन्हीं विद्यमान परिनियमों में संशोधन का प्रारूप कार्य परिषद् को प्रस्तावित कर सकेगी :

परन्तु विद्या परिषद्, किन्हीं ऐसे परिनियमों के या किसी परिनियम में किसी ऐसे संशोधन के, जो विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव डालता हो, प्रारूप का प्रस्ताव तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्रस्ताव पर अपनी राय प्रकट करने का अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार प्रकट की गई किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा.

(४) कार्य परिषद् किसी ऐसे प्रारूप को, जो उपधारा (३) में निर्दिष्ट किया गया है, अनुमोदित कर सकेगी तथा परिनियम को पारित कर सकेगी या उसे अस्वीकार कर सकेगी या ऐसे प्रारूप को किसी ऐसे संशोधन के साथ, जिसका कि वह सुझाव दे, पूर्णतः या अंशतः पुनर्विचार करने के लिए विद्या परिषद् को वापस कर सकेगी.

(५) कार्य परिषद् का कोई भी सदस्य किसी नवीन परिनियम के या विद्यमान परिनियम में संशोधन के प्रारूप का प्रस्ताव कार्य परिषद् को कर सकेगा और कार्य परिषद् उस प्रस्ताव को, या तो स्वीकार कर सकेगी या यदि वह विद्या परिषद के कार्यक्षेत्र के भीतर न आने वाले किसी विषय से संबंधित है, तो उसे अस्वीकार कर सकेगी. उस दशा में, जब कि ऐसा प्रारूप विद्या परिषद के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाले विषय से संबंधित है, तो कार्य परिषद् उसे विचारार्थ विद्या परिषद को निर्दिष्ट करेगी जो कार्य परिषद को या तो यह रिपोर्ट दे सकेगी कि वह प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करती है और तब उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे कार्य परिषद् ने अस्वीकार कर दिया है या कार्य परिषद् को ऐसे प्रारूप में, जैसा कि विद्या परिषद् अनुमोदित करे, एक प्रारूप प्रस्तुत करेगी और इस प्रकार प्रस्तुत किए गए प्रारूप की दशा में इस धारा के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे विद्या परिषद् द्वारा कार्य परिषद् को प्रस्तावित किए गए प्रारूप की दशा में लागू होते हैं.

(६) किसी नवीन परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या परिनियम में किसी संशोधन या उसके निरसन के लिए कुलाधिपति का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उसे मंजूर कर सकेगा, नामंजूर कर सकेगा या उसे और आगे विचार किए जाने के लिए वापिस भेज सकेगा.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

३९. (१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे :— अध्यादेश.

(एक) महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों तथा प्रयोग शालाओं में विद्यार्थियों का प्रवेश और फीस का उद्ग्रहण तथा उनका नामांकन;

(दो) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां, उपाधिपत्र, प्रमाण-पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं और उनके लिए अर्हताएं;

(तीन) विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधिपत्रों तथा प्रमाण-पत्रों तक पहुंचाने वाली परीक्षा;

(चार) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों के हेतु प्रभारित की जाने वाली और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा उपाधिपत्रों के लिए प्रवेश देने के हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस;

(पांच) उपाधियां, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं से संबंधित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए शर्तों का अधिकथित किया जाना;

(छह) परीक्षाओं का संचालन;

(सात) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों (एक्जीबिशन्स) पदकों तथा पारितोषकों आदि के प्रदान किए जाने की शर्तें;

(आठ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना;

(नौ) अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें और छात्रावासों में निवास के लिए फीस का उद्ग्रहण;

(दस) छात्रावासों की मान्यता तथा उनका निरीक्षण;

(ग्यारह) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में किए जा सकने वाले विशेष इंतजाम, यदि कोई हों और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रमों का विहित किया जाना;

(बारह) नैतिकता संबंधी शिक्षण का दिया जाना;

(तेरह) विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठापित या संधारित महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का प्रबंध;

(चौदह) महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का, जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हों, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, कर्तव्य, अर्हताएं तथा नियुक्ति की शर्तें, जिनके अंतर्गत उनका वेतनमान आता है;

(सोलह) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय के साथ संयुक्त रूप से नियुक्त किए जाने वाले बोर्ड एवं समितियों के कर्तव्य तथा शक्तियां;

(सत्रह) विद्यार्थियों के स्थानांतरण के संबंध में सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले तथा प्रवृत्त किए जाने वाले नियम;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(अठारह) सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा रखा जाने वाला विद्यार्थियों का रजिस्टर;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से किए गए संविदाओं या करारों के निष्पादन का ढंग;

(बीस) वे दरें, जिन पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, समितियों तथा अन्य निकायों के सदस्यों के लिए और विश्वविद्यालय के परीक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारीवृन्द के लिए यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता अनुज्ञेय होगा;

(इक्कीस) विद्यार्थी संघ का गठन तथा उसके निर्वाचन की रीति; और

(बाईस) ऐसे समस्त अन्य विषय भी जो इस अधनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या उपबंधित किए जाएं :

परन्तु मद (पन्द्रह) के अधीन का अध्यादेश धारा ५२ के उपबंधों के अध्यधीन होगा.

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.

४०. (१) प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे.

(२) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया अध्यादेश उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि वह कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित किया जाए.

अध्यादेशों के संबंध में प्रक्रिया.

४१. (१) धारा ४० की उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ,—

(क) कोई अध्यादेश, जो विद्यार्थियों के प्रवेश पर प्रभाव डालता हो या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्य की जाने वाली परीक्षाओं को या विश्वविद्यालय के उपाधि पाठ्यक्रमों (डिग्री कोर्सेज) में प्रवेश के लिए धारा ४५ की उपधारा (१) में वर्णित की गई और अर्हताओं को विहित करता हो, कार्य परिषद् द्वारा तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि उसके प्रारूप का प्रस्ताव विद्या परिषद् द्वारा नही किया गया हो; या

(ख) कोई अध्यादेश, जो परीक्षकों की शर्तों तथा उनके कर्तव्यों पर और परीक्षाओं के संचालन या उनके स्तर पर प्रभाव डालता हो, कार्य परिषद् द्वारा तब तक नहीं बना जाएगा जब तक कि वह संबंधित संकाय या संकायों के प्रस्ताव के अनुसार नहीं हो और ऐसे अध्यादेश के प्रारूप का प्रस्ताव विद्या परिषद् द्वारा नहीं किया गया हो; या

(ग) कोई अध्यादेश, जो विश्वविद्यालय के अध्यापकों की, जिन्हे कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, अर्हताओं तथा उपलब्धियों पर प्रभाव डालता हो, कार्य परिषद् द्वारा तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि उसके प्रारूप का प्रस्ताव विद्या परिषद द्वारा नहीं किया गया हो.

(२) कार्य परिषद् को यह शक्तियां नहीं होंगी कि वह ऐसे प्रारूप को, जिसका कि प्रस्ताव उपधारा (१) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा किया गया हो, संशोधित करे किन्तु वह उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकेगी या प्रारूप को किसी ऐसे संशोधन के साथ, जिसका कि कार्य परिषद् सुझाव दे, पूर्णत: या अंशत: पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद् को वापस कर सकेगी.

(३) उपधारा (२) के अधीन किसी प्रारूप के वापिस किए जाने के पश्चात् तथा कार्य परिषद द्वारा सुझाए गए किसी संशोधन पर विद्या परिषद् द्वारा और विचार किया जा चुकने के पश्चात् वह प्रारूप विद्या परिषद् की तत्संबंधी रिपोर्ट के साथ कार्य परिषद् के समक्ष पुन: प्रस्तुत किया जाएगा और तब कार्य परिषद ऐसी रीति में, जैसी कि वह उचित समझे, उस प्रारूप के संबंध में कार्यवाही कर सकेगी.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(४) जहां कार्य परिषद ने विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित किए गए किसी अध्यादेश का प्रारूप अस्वीकार कर दिया है, वहां विद्या परिषद कुलाधिपति को अपील कर सकेगी और कुलाधिपति यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावशील होगा, जो कि उस निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए.

विनियम.

४२. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, समितियां तथा अन्य निकाय, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित किए गए हों, इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विनियम बना सकेंगे जिनमें,—

(क) अपने सम्मिलन में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया को तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या को अधिकथित किया जा सकेगा :

परन्तु जब तक गणपूर्ति के लिए उपबंध करने वाले विनियम नहीं बनाए जाते, जब तक विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय का सम्मिलन करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति की संख्या वह संख्या होगी जिससे कि उन सदस्यों का बहुमत बनता हो जिनसे कि विश्वविद्यालय का ऐसा प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय तत्समय गठित होता हो;

(ख) ऐसे समस्त विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे जिनको कि इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसार, विनियमों द्वारा विहित किया जाना है;

(ग) ऐसे समस्त अन्य विषयों के लिए उपबंध हो सकेंगे जो केवल ऐसे प्राधिकारियों या अन्य निकायों से या समितियों से संबंधित हों जो उनके द्वारा नियुक्त की गई हो और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है.

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, समिति तथा निकाय ऐसे विनियम बनाएगा जिनमें ऐसे प्राधिकारी, समिति या निकाय के सदस्यों को सम्मिलनों की तारीखों की तथा कामकाज की, जिस पर उन सम्मिलनों में विचार किया जाना हो, सूचना दिए जाने एवं सम्मिलन का कार्यवृत्त रखे जाने के लिए उपबंध हो :

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकारी, समिति या निकाय जिसका ऐसे उपांतरण या बातिलीकरण से समाधान न हो, कुलाधिपति को अपील कर सकेगा जिसका इस मामले में विनिश्चय अंतिम होगा.

अध्याय-७ विद्यार्थियों का निवास-स्थान, नामांकन तथा उपाधियां आदि

विद्यार्थियों का निवास.

४३. विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी छात्रावास में निवास करेगा या अन्यत्र ऐसी शर्तों के अधीन निवास करेगा, जैसी कि परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए.

छात्रावास.

४४. (१) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों से भिन्न छात्रावस ऐसे होंगे जिन्हें कि कार्य परिषद द्वारा ऐसी साधारण या विशेष शर्तों पर मान्यता दी जाए, जैसी कि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं.

(२) छात्रावास के प्रतिपालकों (वार्डन्स) की तथा अधीक्षण कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में की जाएगी.

(३) छात्रावास में निवास करने की शर्तें अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएंगी और प्रत्येक छात्रावास इस बात के अध्यधीन होगा कि विश्वविद्यालय के किसी ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा, जो कार्य परिषद द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया है, उसका निरीक्षण किया जाए.

(४) कार्य परिषद को यह शक्ति होगी कि वह किसी छात्रावास की मान्यता को इस आधार पर निलंबित कर दे या उसका प्रत्याहरण कर ले कि उसका संचालन अध्यादेशों द्वारा विहित की गई शर्तों के अनुसार नहीं किया जाता :

COURT BOOK

परन्तु ऐसी कोई भी कार्यवाई ऐसे छात्रावास के प्रबंध प्राधिकारी को, ऐसा अभ्यावेदन, जैसा कि वह उचित समझे, करने का अवसर दिए बिना नहीं की जाएगी.

विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों में प्रवेश.

४५. (१) विद्यार्थी उपाधि संबंधी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक कि उन्होंने मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, १९६५ (क्रमांक २३ सन् १९६५) के अधीन ली गई अंतिम परीक्षा या कोई ऐसी परीक्षा, जो इस धारा के उपबंधों के अनुसार उसके समतुल्य मान्य की गई है, उत्तीर्ण नहीं कर ली है तथा जब तक कि वे ऐसी और अर्हताएं न रखते हों, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं.

(२) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, उपाधि संबंधी पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनार्थ किसी भी उपाधि को, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई हो, अपनी उपाधियों के समतुल्य होना या किसी अन्य परीक्षा को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, १९६५ (क्रमांक २३ सन् १९६५) के अधीन ली गई अंतिम परीक्षा के समतुल्य होना मान्य कर सकेगा.

(३) किसी भी विद्यार्थी को, उपाधि तक पहुंचाने वाले पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह किसी महाविद्यालय, अध्यापन विभाग या प्राध्ययन केन्द्र में विद्यार्थी के रूप में नामांकित नहीं हो जाता है.

परीक्षकों तथा अनुसीमकों (माडरेटर्स) की नियुक्ति.

४६. (१) परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समस्त परीक्षक तथा परीक्षा के प्रश्नों के अनुसीमक (माडरेटर्स) कुलपति द्वारा उस समिति के परामर्श से नियुक्त किए जाएंगे जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(एक) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष जो उस समिति का अध्यक्ष होगा;

(दो) संबंधित अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष;

(तीन) संबंधित अध्ययन बोर्ड का एक सदस्य जो उस प्रयोजन के लिए कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा.

(२) यदि परीक्षा के दौरान कोई परीक्षक किसी कारण से उस रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तो कुलपति उस रिक्ति को भरने के लिए परीक्षक की नियुक्ति करेगा.

महाविद्यालयों तथा पॉलीटेकनिकों का निरीक्षण एवं रिपोर्ट.

४७. (१) प्रत्येक महाविद्यालय तथा पॉलीटेकनिक ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां तथा अन्य जानकारी देगा जैसी कि कार्य परिषद, विद्या परिषद की राय अभिप्राप्त करने के पश्चात् संस्था की दक्षता का निर्णय कर सकने के लिए अपेक्षित करे.

(२) कार्य परिषद, समय-समय पर एक या एक से अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा जो कि कार्य परिषद द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए जाएं, ऐसी संस्था का निरीक्षण करवायेगी.

(३) कार्य परिषद ऐसे किसी महाविद्यालय या संस्था से, जिसका इस प्रकार निरीक्षण किया गया है, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी कार्यवाही करने के लिए अपेक्षा कर सकेगी जैसा कि उसे आवश्यक प्रतीत हो.

रजिस्ट्रीकृत स्नातक.

४८. विश्वविद्यालय के केवल स्नातक ही, ऐसी फीस का, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए, संदाय करने पर रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर में जो कि ऐसे प्ररूप में रखा जाएगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, अपने नाम नामांकित कराने के हकदार होंगे.

अध्याय-८ संपरीक्षा

वार्षिक रिपोर्ट.

४९. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी तथा जो ऐसी तारीख को या उससे पूर्व सभा में प्रस्तुत की जाएगी जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए और उस पर सभा द्वारा अपनी वार्षिक बैठक में विचार किया जाएगा. सभा उस पर संकल्प पारित कर सकेगी और उसे कार्य परिषद को संसूचित कर सकेगी. उसके पश्चात् विश्वविद्यालय उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार यथाशक्य शीघ्र उसे विधान सभा के पटल पर रखवाएगी.

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

५०. (१) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा, राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो पन्द्रह मास से अधिक न हो. लेखाओं की संपरीक्षा.

(२) संपरीक्षित लेखाओं की प्रति और उसके साथ संपरीक्षा रिपोर्ट कार्य परिषद द्वारा सभा और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी. राज्य सरकार यथाशक्य शीघ्र उसे विधान सभा के पटल पर रखवायेगी.

अध्याय-९ विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों पर नियुक्ति

५१. (१) कोई भी व्यक्ति -- अध्यापन पदों पर नियुक्ति.

(एक) आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक के रूप में; या

(दो) विश्वविद्यालय के किसी अन्य अध्यापन पद पर जिसका कि वेतन विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, उपधारा (२) के अनुसार गठित की गई प्रवरण समिति की सिफारिशों पर ही नियुक्त किया जाएगा अन्यथा नहीं;

परन्तु यदि पूर्वोक्त अध्यापन पदों में से किसी भी पद पर की गई नियुक्ति के, छह मास से अधिक समय तक चालू रहने की प्रत्याशा नहीं है और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित विभाग या संस्था के हित के उपाय के बिना उसमें विलंब नहीं किया जा सकता है, तो कार्य परिषद उपधारा (२) के अधीन गठित की गई प्रवरण समिति की सिफारिश अभिप्राप्त किए बिना ही ऐसी नियुक्ति कर सकेगी किन्तु इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति को, प्रवरण समिति की सिफारिश पर के सिवाय उसी पद पर छह मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं रखा जाएगा या विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा.

(२) प्रवरण समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे --

(एक) कुलपति-अध्यक्ष;

(दो) एक विशेषज्ञ जो विद्या परिषद द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसे विषय के तीन विशेषज्ञों की तालिका (पैनल) में से, जो विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार से संसक्त न हो, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(तीन) विषय के तीन विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार से संसक्त न हों, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(चार) भारसाधक सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनशक्ति नियोजन विभाग.

(३) प्रवरण समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(४) समिति, विभिन्न अभ्यर्थियों के गुणागुण का अनुवेषण करेगी और कार्य परिषद को उन व्यक्तियों के, जिन्हें कि वह पदों के लिए उपयुक्त समझती है, नामों की, यदि कोई हो, उन्हें गुणानुक्रम में क्रमांकित कर सिफारिश करेगी :

परन्तु कोई भी सिफारिश तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि उस सम्मिलन में जिसमें कि ऐसी सिफारिश के बारे में विनिश्चय किया जाना है उपधारा (२) के खण्ड (तीन) तथा (चार) के अधीन नामनिर्देशित किए गए कम से कम दो विशेषज्ञ उपस्थित न हों.

(५) कार्य परिषद उन व्यक्तियों में से, जिनकी कि उपधारा (४) के अधीन इस प्रकार सिफारिश की गई है, गुणानुक्रम के अनुसार नियुक्त करेगी.

५२. विश्वविद्यालय के अध्यापकों का जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता है, वेतन का संदाय ऐसे वेतनमानों के अनुसार होगा जो कि कार्य परिषद् द्वारा राज्य सरकार के पुर्व अनुमोदन से अध्यादेश द्वारा नियत किए जाएं. उन अध्यापकों का वेतन जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता है.

COURTBOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अध्याय-१० आपात उपबंध

राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी.

५३. (१) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी परिस्थिति उद्‌भूत हो गई है कि जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गई है, तो वह अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन होगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, प्रथमत: ऐसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है, एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार समय-समय पर वैसी ही अधिसूचना द्वारा, प्रवर्तन की कालावधि को ऐसी और कालावधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, बढ़ा सकेगी, परंतु ऐसे प्रवर्तन की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(३) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार के कार्यपालिक प्राधिकार का विस्तार इस प्रकार बढ़ जाएगा कि वह उक्त विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धांतों का, जो कि निदेश में विनिर्दिष्ट है, अनुपालन करे और ऐसे अन्य निदेश दे सकेगी जिन्हें कि राज्य सरकार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त समझे.

(४) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निदेश के अंतर्गत कोई ऐसा उपबंध आ सकेगा:—

(एक) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि बजट मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(दो) जिसमें विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की गई हो कि वह प्रत्येक ऐसा प्रस्ताव, जिसमें वित्तीय विविधाएं अंतर्वलित हैं, मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(तीन) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किए गए अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों के वेतनमान के तथा भत्तों की दरों के पुनरीक्षण संबंधी प्रत्येक प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए;

(चार) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए समस्त व्यक्तियों के या उनके किसी वर्ग के वेतनों तथा भत्तों में कमी की जाए;

(पांच) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किए गए अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या में कमी की जाए;

(छह) जिसमें यह अपेक्षा की गई हो कि वेतनमानों को तथा भत्तों की दरों को कम किया जाय; और

(सात) जो ऐसे अन्य विषयों के संबंध में हो जिनका कि यह प्रभाव हो सकता हो कि विश्वविद्यालय का वित्तीय दबाव कम हो जाय.

(५) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी के लिए और विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के लिए यह आवद्धकर होगा कि वह इस धारा के अधीन किए गए निदेश को कार्यान्वित करे.

(६) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी इस धारा के अधीन दिए गए निदेश के अपालन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की किसी निधि या संपत्ति के दुरूपयोजन के लिए, जिसका कि वह एक पक्षकार रहा हो या जो ऐसे अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण घटित हुआ हो या सुकर हो गया हो, वैयक्तिक रूप से दायी होगा और इस प्रकार उपगत हुई हानि, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर, ऐसे अधिकारी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी :

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परन्तु हानि की रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाने की कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और ऐसे स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार न कर लिया गया हो.

कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियम को उपांतरित रूप में लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति.

५४. (१) यदि राज्य सरकार को किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किए बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, और यह कि वैसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, उसमें (अधिसूचना में) वर्णित किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि धारा १२ के, धारा १३ के, धारा २२ से २८ तक के, धारा ४२, ४९, ५० तथा ६९ के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को, लागू होंगे.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है) नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसी और [illegible] जैसा वह उचित समझे, इस प्रकार कर सेकगी कि जिसमें अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक [illegible] जाए.

(३) कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी किए जाने के साथ-साथ कुलपति को धारा १२ तथा १३ के अधीन नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया कुलपति अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान पद पर रहेगा:

परन्तु कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किए रह सकेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(४) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद धारण किए हुए हो, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, अपने पद को रिक्त कर देगा;

(दो) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति सभा, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किए हुए हो, उस पद पर नहीं रह जायगा;

(तीन) जब तक यथास्थिति सभा, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का यथाउपांतरित उपबंधों के अनुसार पुनर्गठन न हो जाये तब तक कुलपति, जो यथाउपांतरित धारा १२ तथा १३ के अधीन नियुक्त किया गया हो, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि सभा, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किए गए हों :

परन्तु कुलपति, यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किए गए कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिए एक ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा जिसमें कि एक शिक्षाविद, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे.

(५) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, कुलपति, अधिनियम के यथानुपांतरित उपबंधों के अनुसार सभा, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिए कार्यवाही करेगा और इस प्रकार गठित की गई सभा, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को, जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाय, इन दोनों में से जो भी पश्चातवर्ती हो, कार्य करना प्रारंभ कर देगी :

परन्तु यदि सभा, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाय तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग, कुलाधिपति

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, उस समय तक करेगा जब तक कि यथास्थिति सभा, कार्य परिषद या विद्या परिषद का इस प्रकार गठन न हो जाय.

परिणाम जो धारा ५४ के अधीन अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर होगा.

५५. धारा ५४ के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर, इस अधिनियम के उपबंध, जैसे की वे अधिसूचना में वर्णित विश्वविद्यालय को लागू होने के संबंध में उपांतरित किए गए हैं, उसके संबंध में प्रवृत्त नहीं रहेंगे और इस अधिनियम के अन्य सुसंगत उपबंध पुनः प्रवर्तित हो जायेंगे तथा उसको लागू रहेंगे :

परन्तु अधिसूचना के प्रवर्तन के अवसान का—

(क) यथा उपांतरित उपबंधों या उनके अधीन किए गए किसी आदेश के पूर्ववर्ती प्रवर्तन पर या उन उपबंधों या उस आदेश के अधीन की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(ख) यथा उपांतरित उपबंधों या उनके अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(ग) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में किसी अन्वेषण या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा अन्वेषण या उपचार इस प्रकार संस्थित या प्रवर्तित किया जा सकेगा मानो कि उपांतरित उपबंधों का लागू होना समाप्त नहीं हुआ हो.

अध्याय-११ अनुपूरक उपबंध

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद.

५६. यदि इस अधिनियम या किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम के किन्हीं उपबन्धों के निर्वचन के संबंध में या इस संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक्‌रूपेण निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस संबंध में विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु कोई ऐसा विनिश्चय करने के पूर्व, कुलाधिपति स्वयं या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी, ऐसे विनिश्चय के कारण प्रभावित व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा में अभिव्यक्ति :—

(क) "निकाय" के अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित की गई कोई समिति आती है;
(ख) "नियुक्त किया गया" के अंतर्गत विश्वविद्यालय के वैतनिक पदों पर नियुक्तियां नहीं आती हैं.

समितियों का गठन.

५७. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई हो, वहां उन समितियों में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, होंगे जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे.

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.

५८. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां, सुविधानुसार यथाशक्य शीघ्रता से उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने कि उस सदस्य को जिसका कि स्थान रिक्त हुआ है, नामनिर्देशित, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया हो और किसी आकस्मिक रिक्ति पर नामनिर्देशित, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया गया व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी, समिति या निकाय का उस अवधि की शेष कालावधि के लिए सदस्य रहेगा जिसके लिए कि वह व्यक्ति, जिसके स्थान की उसने पूर्ति की है, सदस्य रहा होता.

विश्वविद्यालय तथा निकायों की कार्यवाहियां रिक्तयों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी.

५९. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि :—

(क) उसमें कोई स्थान रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है.

सेवा की शर्तें.

६०. (१) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा अध्यापक जिसे कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता है, लिखित संविदा के अधीन, जो कि विश्वविद्यालय में रखी जायेगी, नियुक्त किया जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी अध्यापक को दी जाएगी.

(२) विश्वविद्यालय और उसके वैतनिक कर्मचारियों के बीच संविदा से या अन्य किसी प्रकार से प्रोदभूत होने वाला सेवा संबंधी मामले का कोई विवाद कुलपति द्वारा न्यायनिर्णीत किया जाएगा तथा कुलपति के विनिश्चय के विरुद्ध अपील कुलाधिपति को की जाएगी जो विवाद को स्वयं विनिश्चित करेगा या उसे ऐसे अधिकरण को निर्दिष्ट करेगा जो इस प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय का कोई वरिष्ठ कुलपति;

(दो) राज्य सरकार का कोई वरिष्ठ सचिव; तथा

(तीन) राज्य के स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग संस्था का वरिष्ठ प्राचार्य.

पेंशन तथा भविष्य निधि.

६१. विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिक वर्ग के कर्मचारीवृन्द तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाय, ऐसी पेंशन, बीमा तथा भविष्य निधि का गठन करेगा तथा ऐसे अन्य फायदे, संस्थित करेगा जिन्हें कि वह उचित समझे.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

६२. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अध्यापक या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए जो कि उसके द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका इस प्रकार सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

शिक्षण देने के लिए अनुमोदन.

६३. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय में —

(क) तब तक शिक्षण नहीं देगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति विद्या परिषद द्वारा उस संबंध में निर्धारित की गई अर्हताएं न रखता हो; और

(ख) ऐसे विषय या विषयों में तथा उसी स्तर तक, जिसके लिए विद्या परिषद् ने उसकी अर्हताएं अनुमोदित की हों, शिक्षण देना इसके सिवाय नहीं.

अध्यापकों का वर्गीकरण

६४. (१) महाविद्यालय के ऐसे आचार्य, उपाचार्य तथा प्राध्यापक और पॉलीटेकनिक के प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष जो अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् (ए. आई. सी. टी. ई.) द्वारा अधिकथित की गई विद्या संबंधी तथा अन्य अर्हताएं और अनुभव संबंधी शर्तें पूरी करते हैं तथा अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् (ए. आई. सी. टी. ई.) वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं या ऐसा वेतन आहरित कर रहे हैं जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, विश्वविद्यालय के आचार्य, उपाचार्य, तथा प्राध्यापक के रूप में मान्य किए जाएंगे और महाविद्यालय के ऐसे प्राचार्य, जो संबंधित विषयों में न्यूनतम उपाधि स्तर का न्यूनतम १५ वर्ष का अध्यापन अनुभव रखते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्राचार्य का वेतन आहरित कर रहे हैं, विश्वविद्यालय द्वारा आचार्य के रूप में मान्य किए जाएंगे.

(२) "अतिथि आचार्य" (विजिटिंग प्रोफेसर) से अभिप्रेत है ऐसा आचार्य, जो कार्य परिषद द्वारा ऐसी अल्प अवधि के लिए, जो 6 मास से अधिक नहीं होगी, जैसी कि संविदा में नियत की जाए, आमंत्रित किया गया हो.

COURT BOOK

(३) ऐसे अध्यापक को, जो किसी संस्था में अंशकालीन आधार पर नियुक्त किया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्यों की पदावधि.

६५. (१) जब कभी इस अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से कोई पद धारण करना हो या किसी प्राधिकारी का सदस्य होना हो, तो ऐसी ज्येष्ठता इस अधिनियम में कोई प्रतिकूल उपबंध न होने पर, परिनियमों के अनुसार अवधारित की जाएगी :

परन्तु जब तक कि ऐसे परिनियम न बनाए जाएं किसी विशिष्ट संवर्ग में ज्येष्ठता ऐसे संवर्ग में की गई निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर अवधारित की जाएगी और जहां दो या अधिक व्यक्तियों की उसी संवर्ग में की गई सेवा की अवधि एक सी हो वहां ''ज्येष्ठता'' आयु में ज्येष्ठता के आधार पर अवधारित की जायेगी.

(२) जब कभी कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित ओहदे या पद के आधार पर या कोई विनिर्दिष्ट अर्हता रखने के आधार पर किसी प्राधिकारी का सदस्य बन जाता है, तो वह उस दशा में, जबकि वह अपनी सदस्यता की अवधि का अवसान होने के पूर्व ऐसे ओहदे या पद पर न रहे या उस दशा में जब कि उसकी सदस्यता की अवधि का अवसान होने के पूर्व उसमें ऐसी अर्हता न रह जाए, तत्काल ही ऐसे प्राधिकारी का सदस्य नहीं रहेगा :

परन्तु केवल इसी कारण से कि वह ऐसी कालावधि के लिए, जो चार मास से अधिक नहीं हो, छुट्टी पर चला गया है, उसके संबंध में यह नही समझा जाएगा कि वह ओहदे या पद का धारणकर्ता नहीं रह गया है.

विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र.

६६. (१) सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद् या किसी अन्य विश्वविद्यालयीन प्राधिकारी या समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई भी सदस्य या संकाय का संकायाध्यक्ष, कुल सचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और त्याग पत्र कुल सचिव द्वारा पत्र प्राप्त किया जाने के समय से ही प्रभावशील हो जाएगा.

(२) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष से भिन्न कोई भी अधिकारी, चाहे वह वैतनिक हो या अन्यथा हो, कुल सचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा. ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि वह उस प्राधिकारी द्वारा प्रतिग्रहीत कर लिया जाता है जो कि उस रिक्ति को भरने के लिए सक्षम हो.

प्राधिकारी का सदस्य होने के लिए निरर्हता.

६७. (१) कोई भी व्यक्ति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य होने के लिये निरर्हित होगा :—

(क) यदि वह विकृत चित्त का है; या

(ख) यदि वह बहरा है, मूक है या किसी सांसर्गिक रोग से पीड़ित है; या

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(घ) यदि वह किसी विधि न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसमें कि नैतिक पतन अन्तर्वलित हो, और उसके संबंध में कारावास से, जो छह मास से कम का न हो, दंडित किया जा चुका है.

(२) यदि इस संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति उपधारा (१) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी निरर्हता के अध्यधीन है या रहा था, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह प्रश्न कुलाधिपति के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उस पर कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी भी विधि न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी.

स्नातकों के रजिस्टर में से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के किसी सदस्य को हटाने की शक्ति.

६८. (१) कुलाधिपति, कार्य परिषद् के निवेदन पर किसी भी व्यक्ति का नाम स्नातकों के रजिस्टर में से हटा सकेगा और किसी भी व्यक्ति का नाम विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता पर से हटा सकेगा, यदि वह व्यक्ति—

(एक) घोर कदाचार का दोषी है; और

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(दो) ऐसा कार्य करता है जो विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है :

परन्तु कुलाधिपति ऐसी दशा में प्रारंभिक जांच करवायेगा तथा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो वह यथास्थिति ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातक या किसी प्राधिकारी या निकाय के सदस्य पर लिखित आरोप-पत्र की तामील करेगा, जिसमें यथास्थिति कदाचार का या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य का कथन किया जाएगा.

(२) आरोप-पत्र पत्र के उत्तर पर, जो कि उसके पास यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत स्नातक या विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या निकाय के सदस्य द्वारा उपधारा (१) के अधीन भेजा गया हो, विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति, यदि वह यह समझता है कि आगे की कार्यवाही आवश्यक है, जांच ऐसे अधिकरण को न्यस्त कर सकेगा जिसमें कुलाधिपति का नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति, कार्य परिषद का एक नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तथा अभियुक्त रजिस्ट्रीकृत स्नातक या सदस्य, जैसी भी कि दशा हो, का नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति होगा.

(३) अधिकरण, यथास्थिति, अभियुक्त रजिस्ट्रीकृत स्नातक या सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसे साक्ष्य की, जो कि आवश्यक हो, परीक्षा करने के पश्चात अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और उसे कुलाधिपति की ओर अग्रेषित करेगा; और

(४) कुलाधिपति अधिकरण की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसे अंतिम आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे :

परन्तु कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि, यथास्थिति, अभियुक्त रजिस्ट्रीकृत स्नातक या सदस्य को, यह कारण दर्शाने का कि उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई क्यों न की जाए, युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो.

कठिनाईयों का निराकरण.

६९. यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के प्रथम गठन या पुनर्गठन के संबंध में या अन्यथा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, उस अवसर पर जैसा अपेक्षित हो उसके अनुसार, आदेश द्वारा कोई भी ऐसा कार्य कर सकेगी जो कठिनाई का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो.

भोपाल, दिनांक 11 जून 1998

क्र. 7361-21-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (क्रमांक 13 सन् 1998) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

MADHYA PRADESH ACT

No. 13 OF 1998.

THE RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA ADHINIYAM, 1998.

TABLE OF CONTENTS

Sections :

CHAPTER I—PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER II—THE VISHWAVIDYALAYA

3. Incorporation of Vishwavidyalaya.
4. Objects.
5. Powers of Vishwavidyalaya.
6. Jurisdiction.
7. Prohibition of discrimination in all matters connected with Vishwavidyalaya.
8. Teaching in Vishwavidyalaya.
9. Inspection of Vishwavidyalaya and Colleges.

CHAPTER III—OFFICERS OF THE VISHWAVIDYALAYA

10. Officers of Vishwavidyalaya.
11. Kuladhipati and his powers.
12. Appointment of Kulpati.
13. Emoluments and conditions of service of Kulpati, terms of office of and vacancy in the office of Kulpati.
14. Powers and duties of Kulpati.
15. Powers and duties of the first Kulpati.
16. Rector.
17. Recruitment through State University Service.
18. Registrar.
19. Dean of Students Welfare.
20. Other officers.

CHAPTER IV—AUTHORITIES OF THE VISHWAVIDYALAYA

21. Authorities of Vishwavidyalaya.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Sections :

22. Constitution of Court.
23. Meetings of Court and quorum thereat.
24. Powers and duties of Court.
25. Executive Council.
26. Powers and duties of Executive Council.
27. Finance Committee.
28. Academic Council.
29. Powers and duties of Academic Council.
30. Faculties.
31. Board of Studies.
32. Powers and functions of Board of Studies.
33. Academic Planning and Evaluation Board.
34. Board to be constituted.

CHAPTER V—FINANCES

35. Vishwavidyalaya Fund.
36. Objects to which Vishwavidyalaya Fund may be applied.

CHAPTER VI—STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

37. Statutes.
38. Statutes how made.
39. Ordinances.
40. Ordinances how made.
41. Procedure regarding Ordinances.
42. Regulations.

CHAPTER VII—RESIDENCE OF STUDENTS, ENROLMENT AND DEGREE ETC.

43. Residence of students.
44. Hostels.
45. Admission to Vishwavidyalaya Courses.
46. Appointments of Examiners and Moderator.
47. Inspection of colleges and polytechnics and reports.
48. Registered graduates and diploma holders.

CHAPTER VIII—AUDIT

49. Annual Reports.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Sections :

50. Audit of Accounts.

CHAPTER IX—APPOINTMENT TO TEACHING POSTS IN THE UNIVERSITY

51. Appointment to teaching posts.

52. Salaries of teachers paid by Vishwavidyalaya.

CHAPTER X—EMERGENCY PROVISIONS

53. State Government to assume financial control in certain circumstances.

54. Power of State government to apply Act in modified form with a view to provide for better administration of Vishwavidyalaya in certain circumstances.

55. Effect on expiration of the period of operation of notification under Section 55.

56. Dispute as to constitution of University authorities and bodies.

57. Constitution of Committees.

58. Filling of casual vacancies.

59. Proceedings of the Vishwavidyalaya and bodies not invalidated by vacancies.

60. Conditions of service.

61. Pension and Provident Funds.

62. Protection of action taken in good faith.

63. Approval for imparting instructions.

64. Classification of Teachers.

65. Terms of Office of members of authority of the Vishwavidyalaya.

66. Resignation of member or officer of Vishwavidyalaya.

67. Disqualifications for being member of authority.

68. Power to remove member from register of graduates, diploma holder or any authority or body of the Vishwavidyalaya.

69. Removal of difficulties.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

MADHYA PRADESH ACT
No. 13 OF 1998.

THE RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA ADHINIYAM, 1998.

[Received the assent of the Governor on the 23rd May, 1998; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extra-ordinary), dated the 11th June, 1998.]

An Act to establish and incorporate a University of Technology for the purpose of ensuring systematic, efficient and qualitative education in engineering and technological subjects including Architecture and Pharmacy at Degree and Diploma level and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enected by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty-ninth year of the Republic of India as follows :

CHAPTER I—PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1998. Short title, extent and commencement.

(2) It extents to the whole of the State of Madhya Pradesh;

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by otification, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires— Definitions.

(i) "Vishwavidyalaya" means the Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya;

(ii) "Executive Council" means the Executive Council of the Vishwavidyalaya;

(iii) "Academic Council" means the Academic Council of the Vishwavidyalaya;

(iv) "Faculty" means Faculty of the Vishwavidyalaya;

(v) "Board of Studies" means the Board of Studies of the Vishwavidyalaya;

(vi) "Kuladhipati" means the Kuladhipati of the Vishwavidyalaya;

(vii) "Kulpati" means the Kulpati of the Vishwavidyalaya;

(viii) "School of Studies" means an institution maintained by the Vishwavidyalaya as a place of higher learning and research;

(ix) "Department" means a Department of studies and includes a Centre of Studies;

(x) "College or Polytechnic" means an institution maintained by, or admitted to the privileges of the Vishwavidyalaya by or under the provisions of this Act;

(xi) "Autonomous College or Polytechnic" means an institution declared as autonomous institution by the Executive Council in accordance with the provisions of this Act;

(xii) "Affiliated College or Polytechnic" means an institution admitted to the privileges of the Vishwavidyalaya in accordance with the provisions of this Act and the Statutes;

(xiii) "Principal" means the head of the college or Polytechnic and includes, when there is no Principal, the person for the time being duly appointed to act as Principal;

COURT BOOK

(xiv) "Head of a Vishwavidyalaya Department" means the head of the Teaching department mentained by the Vishwavidyalaya for imparting instructions to the students of the Vishwavidyalaya and includes the Director or Principal of any college or institute maintained by the Vishwavidyalaya for the promotion of research or for imparting instructions to the students;

(xv) "Head of College or Polytechnic Department" means the head of any department of a College or Polytechnic;

(xvi) "Teachers of the Vishwavidyalaya" means Professors, Readers, Lecturers and such other persons as may be appointed for imparting instructions or conducting research, with the approval of the Academic Council in the Vishwavidyalaya or any College Polytechnic or any institution maintained or recognised by the Vishwavidyalaya;

(xvii) "Persons connected with the Vishwavidyalaya" means an employee of the Vishwavidyalaya or a College or a Polytechnic or a member of any authority or body of the Vishwavidyalaya or of the Management of the College or Polytechnic;

(xviii) "Employee" means any person appointed by the Vishwavidyalaya and includes teachers and other staff of the Vishwavidyalaya;

(xix) "Statutes, Ordinances and Regulations" means the Statutes, Ordinances and Regulations of the Vishwavidyalaya;

(xx) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (No. 3 of 1956);

(xxi) "Hostel" means a unit of residence or of corporate life for the students of the Vishwavidyalaya, or of a college or of an institution provided, maintained or recognised by the Vishwavidyalaya;

(xxii) "Registered graduate or diploma holder" means a graduate or diploma holder registered or deemed to be registered under the provisions of this Act;

(xxiii) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(xxiv) "Scheduled Tribtes" means the Scheduled Tribtes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(xxv) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes as specified by the State Government *vide* Notification No. F-85-xxv-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended from time to time;

(xxvi) "Vidhan Sabha" means Madhya Pradesh Vidha Sabha;

(xxvii) "VYAPAM" means Vyavasayik Pariksha Mandal, Madhya Pradesh, Bhopal;

(xxviii) "Board" means Madhya Pradesh Board of Technical Education;

(xxix) "Court" means the Court of the Vishwavidyalaya;

(xxx) "All India Council for Technical Education" means the All India Council for Technical Education established under the All India Council for Technical Education Act, 1987 (No. 52 of 1987).

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

CHAPTER II—THE VISHWAVIDYALAYA

Incorporation of Vishwavidyalaya.

3. (1) The Kuladhipati and the first Kulpati of the Vishwavidyalaya and the first members of the Court, Executive Council and of the Academic Council thereof shall constitute the Vishwavidyalaya and the Vishwavidyalaya so constituted shall be a body corporate by the name of the Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya;

(2) The Vishwavidyalaya shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name;

(3) Subject to the provisions of this Act, the Vishwavidyalaya shall be competent to acquire and hold property, both, movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer any movable or immovable property, which may have become vested in, or may have been acquired by it for the purposes of the Vishwavidyalaya and to contract and do all other things necessary for the purpose of this Act.

(4) The headquarter of the Vishwavidyalaya shall be at Bhopal.

Objects.

4. The Vishwavidyalaya shall inter alia have the following main objectives :—

(a) to provide a system of Teachnical Education capable of responding to the changing requirements of technical manpower;

(b) to bring about qualitative improvement in teching and learning process;

(c) to provide congenial environment for Consultancy, Continuing education and Research and Development activities;

(d) to develop strong links with industry for mutual benefits;

(e) to provide necessary help to the institutions to encourage enterpreneurship amongst students;

(f) to maintain live contact with alumini and develop alumini sponsored progammes.

Powers of Vishwavidyalaya.

5. Subject to the provisions of this Act, the Vishwavidyalaya shall have the following powers, namely :—

(1) to provide for instructions in such branches of learning as the Vishwavidyalaya may, from time to time, determine and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge;

(2) to provide instruction including correspondence and such other courses to such persons as are not members of the Vishwavidyalaya as it may determine :

Provide that the Vishwavidyalaya shall not provide instructions through correspondence save with the previous sanction of the State Government;

(3) to organise laboratories, libraries, museums and other equipment for teaching and research;

(4) to eatablish, maintain and manage colleges, polytechnics teaching departments, schools of studies, centres of studies, hostels and guest houses;

(5) (a) to institute Professorships, readerships, Lecturerships and any other academic or teaching posts required by the Vishwavidyalaya and to appoint persons to such posts in accordance with the provisions of this Act;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(b) to apoint persons working in any other University or organisation as teachers of the Vishwavidyalaya for a specified period;

(6) to recognise teachers as qualified to give instructions in institutions;

(7) to recognise persons eminent in any subject to guide research in that subject;

(8) to lay down the courses of instructions for various examinations;

(9) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(10) to grant, subject to such conditions as the Vishwavidyalaya may determine, diplomas or certificates and confer degrees and other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing:

Provided thet no person shall be admitted to an examination leading to any degree or diploma of the Vishwavidyalaya unless such persons, if he had offered a subject for such examination for which a course of practical work is prescribed' has completed such work in a college or polytechnic of the Vishwavidyalaya and produces a certificate of such completion from the Head of the Teaching Department or School of Studies or the Principal of the College or Polytechnic;

(11) to confer degrees and other academic distinctions on persons who have carried on research under conditions laid down in the Ordinances;

(12) to withdraw degrees, diplomas, certificates and other academic destinctions for good and sufficient reasons;

(13) to confer honorary degrees or other academic distinctions on approved persons in the manner prescribed in the Statutes;

(14) to provide such lectures and instructions for and to grant such diplomas and certificates to persons who are not enrolled as students of the Vishwavidyalaya, as the Vishwavidyalaya may determine;

(15) to admit to its privileges Colleges or Polytechnics not maintained by the Vishwavidyalaya, to withdraw all or any of these privileges and to take over the management of Colleges or Polytechnics in the manner and under conditions prescribed by the Statutes or the Ordinances;

(16) to declare a Teaching Department of the Vishwavidyalaya, School of Studies, or Colleges ar Polytechnics as autonomous Colleges or Polytechnics:

Provided that the extent of the autonomy which such teaching department of the Vishwavidyalaya, School of studies or Colleges or Polytechnics may have and the matters, in relation to which it may exercise such autonomy, shall be such as may be prescribed by the Statutes.

(17) to conduct, co-ordinate, regulate and control teaching and research work in the Colleges or Polytechnics recognised by theVishwavidyalaya;

(18) to recognise hostels not maintained by the Vishwavidyalaya and withdraw any such recognition in the manner prescribed in the Statutes and the Ordinances;

(19) to inspect Colleges or Polytechnics or institutions and to take measures to ensure that proper standards of instructions, teaching and training are maintained in them;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(20) to promote with special care the educational interests of the weaker sections of the people and, in particular' of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and the Other Backward Classes;

(21) to provide to the teachers and alumini of the Vishwavidyalaya facilities of refresher and vocational courses;

(22) to co-operate and collaborate with other Universities and authorities in such manner and for such purposes as the Vishwavidyalaya may determine;

(23) to make provision for—

(a) Extra-mural teaching and extenstion service;

(b) Correspondence Course;

(c) Sports and atheletic activities;

(d) Social service scheme;

(e) National Cadet Corps;

(f) Students Union.

(24) to provide for training for competative examinations for service under the Union or the State Government and such other training as may contribute to national development.

(25) to institute and manage—

(a) Information Bureau;

(b) Employment Bureau;

(c) Printing and Publication Department;

(26) to supervise and control the residence, conduct and discipline of students of the Vishwavidyalaya and to make arrangemants for promoting their health and general welfare;

(27) to demand and receive payment of such fees and other charges which may be prescribed by the Ordinances;

(28) to prescribe and control the fees and other charges which may be received or recovered by colleges;

(29) to create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto;

(30) to exercise control over the salaried officers, teachers and other employees of the Vishwavidyalaya in accordance with the Statutes and the Ordinances;

(31) to hold and manage trusts and endowments and to institute and award fellowships, scholarships, exhibitions, bursaries, medals and other awards;

(32) to receive donations and grants and to invest funds in accordance with the provisions of this Act;

(33) with the prior approval of the State Government to borrow on the security of Vishwavidyalaya property on money for the purposes of the Vishwavidyalaya;

COURT BOOK

(34) to determine standards for admission to the Vishwavidyalaya which may include examination, evaluation or any other method of testing wherever lists of selected candidates are not provided by the "VYAPAM";

(35) to make special arrangements in respect of women students as the Vishwavidyalaya may consider desirable;

(36) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees;

(37) to do all such acts and things, whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be requisite in order to further the objects of the Vishwavidyalaya:

Jurisdiction.

6. (1) The Jurisdiction of the Vishwavidyalaya shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any College or Polytechnic or institution imparting education in Engineering and technological subjects including Architecture and pharmacy and situated within the limits of the area specified under sub-section (1) shall, with effect from such date as may be notified in this behalf by the State Government, be deemed to be associated with and admitted to the privileges of the Vishwavidyalaya and shall cease to be associated with other University or Board in the manner prescribed by Statute or Regulation.

(3) Nothing contained in this section shall apply in case of—

(a) the Colleges or Polytechnics or institutions which have not been approved by the All India Council for Technical Education and the Government of Madhya Pradesh;

(b) the Colleges or Polytechnics or institutions imparting instructions exclusively in Agriculture and allied sciences and admitted or deemed to be admitted to the privileges of Agricultural Universities of the State;

(c) teaching department of any University already engaged in teaching engineering and technological subjects including Architecture and Pharmacy.

(4) The Research and Development work being carried out in Colleges or Polytechnics or institutions which have been admitted to the privileges of the Vishwavidyalaya shall be co-ordinated and integrated into the activities of the Vishwavidyalaya with efect from such date or dates as may be fixed by the mutual consent of the Vishwavidyalaya and concerned colleges or polytechnics or institutions.

Prohibition of discrimination in all matters connected with Vishwavidyalaya.

7. It shall not be lawful for the Vishwavidyalaya to impose any test or condition whatsoever relating to religion caste, sex, place of birth or other opinion in order to entitle any person—

(a) to hold any office in the Vishwavidyalaya; or

(b) to be a member of any authority of the Vishwavidyalaya; or

(c) to be appointed or admitted as a teacher; or

(d) to be admitted to any degree, diploma or other academic distinctions or course of study or to qualify for any degree, diploma or other academic distinction; or

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(e) to enjoy or exercise any privileges of the Vishwavidyalaya or benefit thereto; or

(f) to donate funds for creation of endowment :

Provided that the Vishwavidyalaya may subject to the previous sanction of the State Government, maintain any College or Polytechnic or Institution exclusively for women either for education, instruction or residence or reserve for women or members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, or Other Backward Classes, seats for the purposecs of admission as students in any College or Polytechnic or Institution maintained or controlled by the Vishwavidyalaya :

Provided forther that nothing in this Section shall be deemed to require the Vishwavidyalaya to admit to any course of study students larger in number than, or with academic or other qualifications lower than those prescribed in the Statutes or Ordinances.

Teaching in Vishwavidyalaya.

8. All recognised teaching in the University Course, the authorities responsible for organising such teaching and curriculum shall be such as may be prescribed by Statutes, Ordinances or Regulations, as the case may be.

Inspection of Vishwavidyalaya.

9. (1) The Kuladhipati may, on his own motion, and shall on a request made by the State Government, cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the Vishwavidyalaya, its building, laboratories, museums, workshops and equipment and of any College or Polytechnic or Institution maintained by the Vishwavidyalaya or admitted to its privileges, and also of the Examinations, teaching and other work conducted or done by the Vishwavidyalaya and cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration or finances of the Vishwavidyalaya Colleges or Polytechnics or Institutions.

(2) The Kuladhipati shall, in every case, give notice of his intention to cause an inspection or inquiry to be made :—

(a) to the Vishwavidyalaya, if such inspection or inquiry is to be made in respect of the Vishwavidyalaya College or Polytechnic or Institution maintained by it;

(b) to the management of the College or Polytechnic or Institution if the inspection or inquiry is to be made in respect of a College or Polytechnic or Institution admitted to the Privileges of the Vishwavidyalaya and the Vishwavidyalaya or management, as the case may be, shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

3. Such person shall report to the Kuladhipati the result of such inspection or inquiry and the Kuladhipati shall communicate through the Kulpati to the Executive Council or the said management, as the case may be, his views with reference to the result of such inspection or inquiry and shall, after ascertaining the opinion of the Execitive Council or the management thereon, advise the Vishwavidyalaya or the management upon the action to be taken:

Provided that where an inspection or inquiry is caused on a request from the State Government, the Kuladhipati shall take action under this sub-section in consultation with the State Government.

4. The Execitive Council or the management, as the case may be, shall communicate through the Kulpati to the Kuladhipati such action, if any, as it has taken or may propose to take upon the result of such inspection or inquiry and such report shall be submitted within such time as the Kuladhipati may direct.

COURT BOOK

5. Where the Executive Council or the management, does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Kuladhipati, the Kuladhipati may, after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council or the management, issue, in consultation with the State Government, such directions as he may think fit and the Executive Council or management, as the case may be, shall comply with.

CHAPTER-III OFFICERS OF THE VISHWAVIDYALAYA

Officers of the Vishwavidyalaya.

10. The following shall be the officers of the Vishwavidyalaya, namely :—

(i) the Kuladhipati;
(ii) the Kulpati;
(iii) the Rector;
(iv) the Deans of the Faculties;
(v) the Registrar;
(vi) the Dean of Students welfare; and
(vii) such other officers in the service of the Vishwavidyalaya as may be declared by the Statutes to be officers of the Vishwavidyalaya.

Kuladhipati and his powers.

11.(1) The Governor of Madhya Pradesh shall be the Kuladhipati of the Vishwavidyalaya.

(2) The Kuladhipati shall by virtue of his office, be the Head of the Vishwavidyalaya and the President of the Court and shall when present preside at the meetings of the Court or at any convocation of the Vishwavidyalaya.

(3) The Kuladhipati may—

(a) call for any papers or information relating to the affairs of the Vishwavidyalaya; and

(b) for reasons, to be recorded, refer any matter except a matter falling under Section 55 for reconsideration to any officer or authority of the Vishwavidyalaya. that has previously considered such matter.

(4) The Kuladhipati may, by an order in writing, annual—

(a) any proceedings of any officer, authority, committee or body of the Vishwavidyalaya constituted by or under this Act, which is not in conformity with this Act, Statutes, Ordinances or Regulations; or

(b) any proceedings of any authority, committee or other body which has been referred to him by the Kulapati under Sub-section (7) of Section 14, if he is satisfied that such proceedings are prejudicial to the interest of the Vishwavidyalaya :

Provided that before making such order he shall call upon the officer, authority, committee or body concerned to show cause why such an order should not be made and if any cause is shown within the time specified by him in this behalf he shall consider the same.

5. Where the Kuladhipati passes an order annulling the proceedings under Sub-section (4), he may make such subsequent order in relation thereto in conformity with this Act, Rules, Statutes, Ordinances or Regulations, as he may deem fit in the interest of the Vishwavidyalaya and the order so made shall be final;

6. Every proposal to confer an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Kuladhipati;

7. The Kuladhipati shall exercise such powers as may be conferred on him by or under this Act.

12. (1) The Kulpati shall be appointed by the Kuladhipati from a panel of not less than three distinguished persons in the field of technical education recommended by the committee constituted under sub-section (2) or sub-section (6): **Appointment of Kulpati.**

Provided that if the person or persons approved by the Kuladhipati out of those recommended by the Committee are not willing to accept the appointment, the Kuladhipati may call for fresh recommendations from such Committee:

Provided further that the first Kulpati shall be appointed by the Kuladhipati after consultation with the State Government.

(2) The Kuladhipati shall appoint a committee consisting of the following persons, namely:—

(i) One person elected by the Executive Council;

(ii) One Person nominated by the Chairman of the All India Council of Technical Education.

(iii) One person nominated by the Kuladhipati.

The Kuladhipati shall appoint one of the three persons to be the Chairman of the Committee.

(3) For constituting the committee under sub-section (2), the Kuladhipati shall, six months before the expiry of the term of the Kulpati, call upon the Executive Council and the chairman of the All India Council of Technical Education to choose their nominees and if any or both of them fail to do so within one month of the receipt of the Kuladhipati's communication in this regard, the Kuladhipati may further nominate any one or both the persons, as the case may be.

(4) No person who is connected with the Vishwavidyalaya or any College shall be elected or nominated on the committee under sub-section (2)

(5) The Committee shall submit the panel within six weeks from the date of its constitution or such further time not exceeding four weeks as may be extended by the Kuladhipati.

(6) If for any reasons the committee constituted under sub-section (2) fails to submit the panel within the period specified in sub-section (5), the Kuladhipati shall constitute another committee consisting of three persons, not connected with the Vishwavidyalaya or any College, one of whom shall be designated as the Chairman. The Committee so constituted shall submit a panel of three persons within a period of six weeks or such shorter period as may be specified, from the date of its constitution.

(7) If the committee constituted under sub-section (6) fails to submit the panel within the period specified there in, the Kuladhipati may appoint any person whom he deems fit to be the Kulpati.

13. (1) The Kulpati shall be a whole-time salaried officer of the Vishwavidyalaya and his emoluments and other terms and conditions of service shall be prescribed by the Statutes. **Emoluments and conditions of service of Kulpati, terms of office of and Vacancy in the office of Kulpati.**

(2) The Kulpati shall hold office for a term of four years and shall not be eligible for appointment for more than two terms.

COURT BOOK

Provided that notwithstanding the expiry of his term he shall continue to hold office until his successor is appointed and enters upon his office but this period shall not, in any case, exceed six months.

(3) If at any time upon representation made or otherwise and after making such enquiries as may be deemed necessary, it appears to the Kuladhipati that the Kulpati—

(i) has made default in performing any duty imposed on him by or under this Act; or

(ii) has acted in a manner prejudicial to the interest of the Vishwavidyalaya; or

(iii) is capable of managing the affairs of the Vishwavidyalaya, (the Kuladhipati) may notwithstanding the fact that the term of office of the Kulpati has not expired by an order, in writing, stating the reasons therein, require the Kulpati to relinquish his office as from such date as may be specified in the order.

(4) No order under sub-section (3) shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to the Kulpati and he is given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

(5) As from the date specified in the order under sub-section (3), the Kulpati shall be deemed to have relinquished the office and the office of the kulpati shall fall vacant.

(6) In the event of the occurrence of any vacancy including a temporary vacancy in the office of the Kulpati by reason of his death, resignation, leave, illness or ohterwise, the Rector and if no Rector has been appointed or Rector is not available, the Dean of any faculty nominated by the Kuladhipati for that prupose shall act as the Kulpati until the date on which the Kulpati appointed under sub-section (1) or sub-section (7) of Section 12 enters or re-enters, as the case may be, upon office:

Provided that the arrangement contemplated in this sub-section shall not continue for a period of more than six month.

Powers and duties of Kulpati.

14. (1) The Kulpati shall be the principal administrative and Academic Officer of the Vishwavidyalaya. He shall be an ex-officio member and Chairman of the Executive Council and of the Academic Council, and Chairman of such other authorities, committees and bodies of the Vishwavidyalaya of which he is a member. He shall be entitled to be present and to speak at any meeting of any authority, committee or other body of the vishwavidyalaya, but shall not be entitled to vote thereat unless he is a member of the authority, committee or body concerned.

(2) It shall be the duty of the kulpati to ensure that this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are faithfully observed and he shall have all powers necessary for this purpose.

(3) The Kulpati shall have the power to convene meetings of the executive Council, the Academic Council and of such other authorities, committees and bodies of the vishwavidyalaya of which he is the chairman. He may delegate this power to any other officer of the vishwavidyalaya.

(4) If in the opinion of the Kulpati any emergency has arisen which requires immediate action to be taken, the Kulpati shall take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer, authority, Committee or other body as would have in the ordinary course dealt with the matter:

COURT BOOK
LEGAL CLARITY

Provided that the action taken by the Kulpati shall not commit the Vishwavidyalaya to any recurring expenditure for a period of more than three months:

Provided further that where any such action taken by the kulpati affects any person in the service of the Vishwavidyalaya, such person shall be entitled to prefer, within thirty days from the date on which such action of communicated to him, an appeal to the Executive Council:

Provided also that this power shall not extend to matters regarding amendment in the Ordinances, Statutes, Regulations or any matter relating to appointments.

(5) On receipt of a report under sub-section (4) if the authority, committee or body concerned does not approve the action taken by the Kulpati it shall refer the matter to the Kuladhipati whose decision thereon shall be final.

(6) The action taken by the Kulpati under sub-section (4) shall be deemed to be the action taken by the appropriate authority until it is set aside by the Kuladhipati on a reference made under sub-section (5) or is set aside by the Executive Council on an appeal under the second proviso to sub-section (4).

(7) If in the opinion of the Kulpati, any proceeding of any authority, committee or other body of the Vishwavidyalaya is likely to be prejudicial to the interest of the Vishwavidyalaya, he shall record his reason and refer the matter to the Kuladhipati and also inform the authority, committee or other body concerned shall not be given effect to till the matter is decided by the Kuladhipati under sub-section (4) of Section 11.

(8) The Kulpati shall exercise general control over the affairs of the Vishwavidyalaya and shall give effect to the decisions of the authorities of the Vishwavidyalaya.

(9) The Kulpati shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes, Ordinances and Regulations.

Powers and duties of the first Kulpati.

15. It shall be the duty of the first Kulpati of the Vishwavidyalaya to Constitute Court Executive Council, Academic Council and Other Authorities of the Vishwavidyalaya within a period of two years from the date of establishment of the Vishwavidyalaya and till the said authorities are constituted, the Kulpati shall be deemed to be the Executive Council, Academic Council or such other Authority, as the case may be, and shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed on such authorities by or under this Act:

Provided that the Kuladhipati may, if he considers it necessary or expendient so to do, appoint a committee, after consultation with the State Government, consisting of an educationist and an administrative expert to aid and advise the Kulpati in the exercise of his powers and performance of functions in lieu of each such authority.

The Rector.

16. (1) A Rector shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Kulpati. If the Executive Council does not accept the recommendation of the Kulpati the matter shall be referred to the Kuladhipati whose decision thereon shall be final.

(2) The Rector shall be a salaried officer of the Vishwavidyalaya.

(3) Subject to the provisions of this Act, the term of office, conditions of service and emoluments of the Rector shall be such as may be prescribed by Statutes and till so prescribed, as may be determined by the Kuladhipati.

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

(4) The Rector shall perform such duties and exercise such powers of Kulpati as may be assigned to him by the Kuladhipati in consultation with the Kulpati and he shall perform such other duties and exercise such other powers as may be prescribed by Regulations.

Recruitment through State University Service.

17. The post of Registrar and such other cadres of other officers shall be filled from the officers of the State University Service constituted under the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973). In case of non-availability of such officers the posts shall be filled in by the Kuladhipati by securing the services of suitable officers on deputation.

The Registrar.

18. (1)The Registrar shall be a whole-time salaried officer of the Vishwavidyalaya and shall discharge his duties under the Act, subject to the general superintendence and control of the Kulpati. He shall act as the Secretary of the Court of the Executive Council, of the Academic Council and of the Academic, Planning and Evaluation Board.

(2) The Registrar shall be appointed in accordance with the provisions of Section 17:

Provided that the first Registrar of the Vishwavidyalaya shall be appointed by the Kuladhipati after consultation with the State Government and shall hold office for such period not exceeding four years and on such terms and conditions as the Kuladhipati may determine.

(3) Subject to the powers of the Executive Council the Registrar shall, unless otherwise provided in the Statutes, be responsible for seeing that all moneys are expended for the purpose for which they are granted or allotted.

(4) Unless otherwise provided for by or under this Act, all contracts shall be signed and all documents and records shall be authenticated by the Registrar on behalf of the Vishwavidyalaya.

(5) The Registrar shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on him, by the Statutes, the Ordinances and the Regulations.

Dean of Students's Welfare.

19. (1) The Dean of Students' Welfare shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Kulpati.

(2) The Dean appointed under sub-section (1) shall be a whole-time salaried officer:

Provided that the executive Council may, if it is considered necessary, appoint, on the recommendation of the Kulpati, a teacher, not below the rank of a Reader for a period of three years to Discharge the duties of the Dean of Students' Welfare, in addition to his duties as such teacher, and, in such a case, the Executive Council may sanction a suitable allowance to be paid to him.

(3) The terms and conditions of service and duties and powers of the Dean of Students' Welfare shall be prescribed by the Statutes.

Other Officers.

20. The Appointment of other employees of the Vishwavidyalaya not covered by Section 17 shall be made in such manner and the conditions of their service shall be such as may be prescribed by the Statutes, Ordinances and Regulations.

CHAPTER-IV AUTHORITIES OF THE VISHWAVIDYALAYA, NAMELY

Authorities of the Vishwavidyalaya.

21. The Following shall be the authorities of the Vishwavidyalaya, namely :—

(i) the Court;
(ii) the Executive Council;
(iii) the Finance Committee;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(iv) the Academic Council;
(v) the Faculties;
(vi) the Board of Studies;
(vii) the Academic Planning and Evaluation Board.
(viii) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the Vishwavidyalaya.

Constitution of Court.

22. (1) The Court shall consist of the following persons namely :—

(i) the Kuladhipati;
(ii) the kulpati;
(iii) the Rector;
(iv) the Dean of Faculties;
(v) the Secretary in charge of the Manpower Planning Department of the Government of Madhya Pradesh;
(vi) the Commissioner of Higher Education, Madhya Pradesh;
(vii) the Director of Technical Education, Madhya Pradesh;
(viii) Chairman of the Madhya Pradesh Board of Secondary Education;
(ix) Chairman of the Vyapam;
(x) one nominee of the all India Council for Technical Education;
(xi) Director, Technical Teachers Training Institute, Bhopal;
(xii) Dean of Students' Welfare.

GROUP—B

(xiii) One Professor, one Reader and one Lecturer from Vishwavidyalaya Teaching Department/School of studies Centre of Studies to be elected from amongst themselves in the manner prescribed by the Statute;

(xiv) One Principal, one Professor, one Reader and one Lecturer from affiliated colleges to be elected from amongst themselves in the manner prescribed by the statute;

(xv) Two Principals, two Heads of Department and two Lecturers from affiliated Polytechnics to be elected from amongst themselves in the manner prescribed by the Statute.

GROUP—C

(xvi) Director General, Madhya Pradesh Council of Science and Technology, Bhopal;

(xvii) Director, Regional Research Laboratory Council for Scientific and Industrial Research, Bhopal;

(xviii) Chairman, Institution of Engineers (India) Madhya Pradesh State Centre, Bhopal;

(xix) Three Deans of Faculty of Engineering to be nominated by the Kuladhipati;

(xx) Two members of the Vidhan Sabha to be elected by the Vidhan Sabha;

(xxi) Three representatives to be elected by the registered graduates of the Vishwavidyalaya from amongst themselves;

(xxii) Every donor donating Rs. Five lakhs or more to the Vishwavidyalaya;

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

(xxiii) Two representatives of the Associations of Commerce and Industries to be nominated by the State Government;

(xxiv) One representative from the salaried non-teaching employees of the Vishwavidyalaya elected from amongst themselves in the manner prescribed by the Statutes.

GROUP—D

(xxv) Two students elected by the student members of the Board of studies from amongst themselves;

(xxvi) Two students to be elected from amongst themselves by students who in the academic session immediately proceding the election have been members of teams of the Vishwavidyalaya participating in the University tournaments;

GROUP—E

(xxvii) such members of the Executive Council who are not members under any of the foregoing groups.—

Explanation — (i) No person shall be eligible to become a member of the Court under more than one item;

(ii) not more than one person shall be nominated from any Vishwavidyalaya Teaching Department, School of Studies or College under any one item of Group B.

(iii) For the purposes of Group-D. Student shall mean a person who—

(a) is receiving instructions or carrying on research in any of the colleges or Vishwavidyalaya Teaching Department or School of Studies or any other institution of the Vishwavidyalaya under the terms and conditions laid down in the Ordinances; and

(b) has passed his class 12th examination of 10+2 scheme not earlier than six years before the opening date of the academic session in which he seeks election. Further, he has passed each of the examinations from 12th onwards in single attempt.

(2) The terms of office of members elected under Group-D of the sub-section (1) shall be one year.

(3) The term of office of members nominated or elected, as the case may be. under Group-B and Group-C or included in Group-E of Sub-section (1) shall be coterminus with the term of the Court which shall be three years.

(4) Every donor specified in (xxi) of Sub-section (1) shall be a member of the Court for 7 years from the date the donation is accepted by the Vishwavidyalaya and during the period aforesaid. the representative as may be nominated from time to time by such donor shall be deemed to be the donor.

Meeting of Court and quorum thereat.

23. (1) The Court shall meet at least once in a calender year and at such intervals as may be prescribed by the Statutes.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) One third of the members of the court shall form the quorum.

Power and duties of Court.

24. Subject to the provisions of this Act, the Court shall exercise the following powers and perform the following duties, namely :—

(i) to act as an advisory body in all matters relating to the Vishwavidyalaya;

(ii) to review from time to time the broad policies and programmes of Vishwavidyalaya;

(iii) to consider and pass resolutions on the annual report, the annual accounts and audit report thereon, if any;

(iv) to consider and pass resolutions on the annual financial estimates of the Vishwavidyalaya;

(v) to confer on the recommendation of the Executive Council honorary degrees and other academic distinctions;

(vi) to review the acts of the other authorities of the Vishwavidyalaya save where such authorities have acted in accordance with the powers conferred upon them by this Act, the Statutes and the Ordinances;

(vii) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by this Act and the Statutes.

Executive Council.

25. The Executive Council shall be the Executive body of the Vishwavidyalaya and shall consist of the following, namely :—

(i)	The Kulpati;	Chairman
(ii)	The Secretary incharge— of Manpower Planning Department, Government of Madhya Pradesh.	Member
(iii)	the Secretary incharge of Finance Department Government of Madhya Pradesh;	Member
(iv)	Chairman of the Vyapam;	Member
(v)	Secretary incharge of Higher Education Department Government of Madhya Pradesh.	Member
(vi)	four principals of affiliated colleges or ploytechnics or institutions to be nominated by the kuladhipati by rotation, according to seniority;	Member
(vii)	all Deans of Faculties;	Member
(viii)	two Professors from the Vishwavidyalaya teaching Departments/affiliated Colleges or Institutions to be nominated by the Kuladhipati, by rotation, according to seniority;	Member

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ix)	two Heads of Department from affiliated ploytechnics to be nominated by the Kuladhipati, by rotation according to seniority;	Member
(x)	Director Technical Education Madhya Pradesh;	Member
(xi)	the Chairman all India Council for Technical Educations Central Region Committee, Bhopal;	Member
(xii)	two known industrialists with technical and managerial experience to be nominated by the Kuladhipati;	Member
(xiii)	an educationist in the field of technical education from any national technical institution to be nominated by the Kuladhipati;	Member
(xiv)	Registrar.	Member-Secretary

(2) The members of the Executive Council other than *Ex-officio* members shall hold office for a period of three years.

(3) One third of the members of the Executive Council shall form the quorum :

Provided that no quorum shall be necessary for adjourned meeting.

Powers and duties of Executive Council.

26. (1) Subject to the provisions of this Act, and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder, the Executive Council shall be the supreme authority and shall have the following powers and perform the following duties namely :—

(i) to hold, control and administer the property and funds of the Vishwavidyalaya;

(ii) to administer the funds placed at the disposal of the Vishwavidyalaya for specific purposes;

(iii) to adopt the annual accounts together with the audit report;

(iv) to prepare the annual financial estimates of the Vishwavidyalaya and to place them before the Court for its consideration;

(v) (a) to adopt the annual financial estimates after considering suggestions of the Court, if any;

(b) to fix the limit for the total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year based on the resources of the Vishwavidyalaya which, in the case of Productive works, may include the Proceeds of loans;

(vi) Subject to clause (v), at any time during the financial year;

(a) to reduce the amount of the budget grant;

(b) to sanction the transfer of any amount within a budget grant from one head to another or from a subordinate head under one minor head to a subordinate head under another minor head; or

(c) to sanction the transfer of any amount exceeding rupees five thousand within a minor head from one subordinate head to another or from one primary unit to another;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(vii) to borrow and lend funds on behalf of the Vishwavidyalaya:

Provided that funds shall not be borrowed on the security of Vishwavidyalaya property without the prior approval of the Manpower Planning Department, Government of Madhya Pradesh;

(viii) to transfer any movable or immovable property on behalf of the Vishwavidyalaya:

Provided that no immovable property of the Vishwavidyalaya shall, except with the prior sanction of the State Government be transferred by way of mortgages, sale, exchange, gift or otherwise;

(ix) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the Vishwavidyalaya in the exercise or performance of the powers and duties assigned to it by this Act, and the Statutes;

(x) to determine the form of, provide for the custody and regulate the use of the common seal of the Vishwavidyalaya;

(xi) to lay before the Manpower Planning Department of Government of Madhya Pradesh annually a full statement of the financial requirements of all Colleges and hostels;

(xii) to admit Colleges or Polytechnics to the privileges of the Vishwavidyalaya on the recommendation of the Academic Council and subject to the provisions of this Act and Statutes and to withdraw any of the Privileges and to take over the management of the College or Polytechnic in the manner and under conditions prescribed by the Statutes and Ordinanes;

(xiii) to declare Teaching Department of the Vishwavidyalaya, Schools of Studies or Colleges or Polytechnic as autonomous College or Polytechnic:

Provided that the extent of autonomy which each such Teaching Department of the Vishwavidyalaya, School of Studies or Colleges or Ploytechnics may have and the matters in relation to which it may exercise such autonomy, shall be such as may be prescribed by the Statutes;

(xiv) to make provision for building, premises, furniture, appratus, books and other means needed for carrying on the works of the Vishwavidyalaya;

(xv) to accept on behalf of the Vishwavidyalaya, trusts, bequests, donations and transfers of any movable or immovable property to the Vishwavidyalaya;

(xvi) to manage and regulate the finances, accounts and investments of the Vishwavidyalaya;

(xvii) to institute and manage;

(a) a Printing and Publication Bureau;

(b) an information Bureau;

(c) an Employment Bureau;

(xviii) to make provision for;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(a) (i) Extramural teaching and research;

(ii) Vishwavidyalaya Extention Activities;

(iii) Correspondence courses;

(b) Students Union;
(c) Student's Welfare;
(d) Sports and athletic activities;
(e) Social Service Scheme; and
(f) National Cadet Corps.

(xix) to scrutinise all proposals of the Academic Council with a view to their execution within the framework of the budget;

(xx) to institute such Professorships, Readerships, Lecturerships or other teaching posts as may be proposed by the Academic Planning and Evaluation Board:

Provided that no teaching post shall be instituted without the prior approval of the Manpower Planning Department of Government of Madhya Pradesh;

(xxi) to create administrative, ministerial and other posts with the prior sanction of the State Government;

(xxii) to abolish or suspend, after report from the Academic planning and Evaluation Board thereon, any Professorships, Readerships, Lecturerships, or other teaching posts in the Vishwavidyalaya;

(xxiii) to establish, maintain and manage Colleges Polytechnics teaching Departments institutions of research of specialised studies, laboratories, libraries, museums and hostels;

(xxiv) to recognise hostels and to provide housing accommodation for teachers of the Vishwavidyalaya;

(xxv) to arrange for and direct the inspection of affiliated colleges, recognised institutions, Polytechnics and hostels and to issue instructions for maintaining their efficiency and for ensuring proper conditions of emplyment for members of their staff, and payment of adequate salaries and, in case of disregard of such instructions, to modify on the recommendations of the Academic Council, the conditions of affiliation or recognition or taking such other steps as it deems necessary and proper in that behalf;

(xxvi) to prepare a College code laying down therein the terms and conditions of affiliation of colleges and Polytechnics;

(xxvii) to call for reports, returns and other information from affiliated colleges, recognised institutions or polytechnics or hostels;

(xxviii) to supervise and control the admission, residence, conduct and discipline of the students of the Vishwavidyalaya and to make arrangements for promoting their health and general welfare;

(xxix) to recommend to the Kuladhipati the conferment of Honorary degree and academic distinctions in the manner prescribed by the Statutes;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(xxx) to confer or withdraw degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions in the manner prescribed by the Statutes;

(xxxi) to institute fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes;

(xxxii) save as otherwise provided by this Act, or the Statutes, to appoint the officers other than the Kulpati, teachers and other employees of the Vishwavidyalaya, to define their duties and the conditions of their service and to provide for the filling up of temporary vacancies;

(xxxiii) to regulate and enforce discipline among members of the teaching, administrative and ministerial staff of the Vishwavidyalaya in accordance with the Statutes and Ordinances;

(xxxiv) to recognise a member of the staff of an affiliated or recognised institution as a teacher of the Vishwavidyalaya and withdraw such recognition;

(xxxv) to fix remuneration of examiners and to arrange for the conduct of and for publishing the results of the Vishwavidyalaya examinations and other tests;

(xxxvi) to cancel examinations in the event of malpractices, Partially or wholly, and to take action against any persons or group of persons or institutions found guilty of such malpractices, including rustication of students;

(xxxvii) to take disciplinary action against students enrolled in the Vishwavidyalaya, including candidates for any examination;

(xxxviii) to take disciplinary action against staff, persons appointed as invigilators, examiners etc;

(xxxix) to fix, demand and receive such fees and other charges as may be prescribed by the Ordinances;

(xl) to make, amend and cancel Ordinances;

(xli) to accept, reject or return to the Academic Council for consideration, but not to amend, regulations framed by the Academic Council;

(xlii) to entertain, adjudicate upon and, if deemed fit, to redress grievances of the employees and the students;

(xliii) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act;

(xliv) to exercise all powers of the Vishwavidyalaya not otherwise provided for in this Act or the Statutes and all other powers which are requisite to give effect to the provisions of this Act or the Statutes;

(xlv) to delegate by Regulations any of its powers to the Kulpati, the Registrar or such other officer of the Vishwavidyalaya or a Committee appointed by it as it may deem fit.

COURT BOOK

Finance Committee.

27. (1) The Kuladhipti shall constitute a Finance Committee for the Vishwavidyalaya consisting of the following members, namely :—

(i) Kulpati;

(ii) Registrar of the Vishwavidyalaya;

(iii) Finance officer of the Vishwavidyalaya;

(iv) Secretary incharge of Manpower Planning Department, Government of Madhya Pradesh or his nominee not below the rank of deputy Secretary;

(v) Secretary incharge of Finance Department, Government of Madhya Pradesh or his nominee not below the rank of Deputy Secretary.

(2) The finance Committee shall control the Finances of the Vishwavidyalaya;

(3) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder, the Finance Committee shall exercise the powers and perform the functions as under :—

(a) to review the Income and Expenditure of theVishwavidyalaya;

(b) to prepare the Annual Financial Estimates of the Vishwavidyalaya before the commencement of the financial year and place it before the Executive Council for approval and to advise amendment therein from time to time;

(c) to sanction proposals and take decisions on the income and expenditure of the Vishwavidyalaya;

(d) to get the annual accounts and the annual audit of the Vishwavidyalaya completed in time and, in the light of the report, order appropriate directions.

(4) Three members shall form the quorum out of which presence of Kulpati and one member either from clause (iv) or (v) of sub-section (1) shall be essential.

Academic Council.

28. (1) The Academic Council shall be the Academic body of the Vishwavidyalaya consisting of the following members,namely :—

(i) Kulpati;

(ii) Rector;

(iii) Director, Technical Education, Madhya Pradesh;

(iv) Chairman, Madhya Pradesh Board of Secondary Education;

(v) Dean of Faculties;

(vi) Chairman of Board of Studies;

(vii) Heads of the Departments of the Vishwavidyalaya;

(viii) Four Principals, two from affilated Colleges and two from affiliated Polytechnics to be nominated by the Kulpati, by rotation, according to seniority;

(ix) Two Professors from affilated colleges of the Vishwavidyalaya to be nominated by the Kulpati, by rotation, according to seniority;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(x) Two Readers from the Vishwavidyalaya Teaching Departments amongst whom one shall be a lady teacher nominated by the Kulpati, by rotation, according to seniority;

(xi) Registrar of Vishwavidyalaya. Member secretary.

(2) One-third of the members of the Academic Council shall form the quorum:

Provided that no quorum shall be necessary for adjourned meeting.

(3) The Academic Council shall have the power to co-opt, as members, two persons having special knowledge or experience in the subject matter of any particular business which may come before the Council for consideration. The members so co-opted shall have all the rights of the members of the Council in regard to the transaction of the business in relation to which they may be co-opted.

(4) All the members of the Academic Council other than ex-officio members and members referred to in sub-section (3) shall hold office for a term of three years.

Powers and duties of Academic Council.

29. (1) The Academic Council shall in addition to all other powers vested in it by this Act, the Statutes and the Ordinances, have the following powers and perform the following duties, namely:—

(i) to exercise general supervision over the academic policies of the Vishwavidyalaya and to give direction regarding methods of instruction, cooperative teaching among colleges and polytechnics maintained by or admitted to the privileges of the Vishwavidyalaya, valuation of research or improvements in academic standards;

(ii) to consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference by a faculty or the Executive Council and to take appropriate action thereon;

(iii) (a) to make proposals for allocating departments to the Board of studies;

(b) to assign fellows and its own members to the faculty;

(iv) to make proposals for the institution of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes and to make rules for their award;

(v) to consider the application for admission of an educational institution to the privileges of the Vishwavidyalaya:

Provided that no such application shall be considered unless the institution has been approved by the All India Council for Technical Education and the State Government.

(vi) to prescribe qualifications for recognition of persons as teachers of the Vishwavidyalaya and to accord such recognition;

(vii) to make arrangement for the conduct of examinations and to appoint result committees or other persons or both, as it thinks fit, to prepare the result of examinations and report such result to the Executive Council for publication;

(viii) to recognise persons eminent in any subject to guide research in that subject ;

COURT BOOK

(2) The Academic Council may appoint a Standing Committee consisting of its members. The constitution, powers and functions of the said Standing Committee shall be determined by the Statutes.

Faculties.

30. (1) The Vishwavidyalaya shall have one or more faculties as may be prescibed by the Statutes;

(2) Each Faculty shall consist of the Dean and such other members and shall have such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes;

(3) Each faculty shall have such departments as may be assigned to it by the Ordinances;

(4) The Dean shall be appointed by the Kuladhipati on the recommendation of the Kulpati for a period of two years from amongst the Professors of the Vishwavidyalaya Teaching Departments or Schools of Studies or college professors who are teachers in the said subject:

Provided that if there is no Professor of the Vishwavidyalaya Teaching Departments or Schools of Studies teaching the said subject, the Dean shall be appointed from amongst the Professors of affiliated colleges who are teachers in the said subject;

(5) the Dean shall be the Chairman of the Faculty and shall be responsible for the due observance of the Statutes, the Ordinances and the Regulations relating to the Faculty and for the conduct and maintenance of standards of teaching and research;

(6) The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of any Boards of Studies of the Faculty but shall not have the right to vote thereat.

Board of Studies.

31. (1) There hall be a Board of Studies for every subject or group of subjects for degree courses as prescribed by the Statutes;

(2) Each Board shall consist of such persons as may be prescribed by the Statutes.

Powers and Functions of Board of Studies.

32. The Board of Studies shall have such powers and perform such functions as may be prescribed by the Statutes.

Academic Planning and Evaluation Board.

33. (1) The Academic Planning and Evaluation Board shall consist of the following members, namely :—

(i) The Kulpati-Ex-officio Chairman;

(ii) The Rector;

(iii) Dean of Faculties;

(iv) Three Heads of Vishwavidyalaya Departments and Schools of Studies nominated by Kulpati;

(v) Three college Professors nominated by the Kulpati;

(vi) Three scholars of repute not connected with the Vishwavidyalaya;

(vii) Three Heads of Departments nominated by the Kulpati;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(viii) Two representatives of Industry nominated by the Kuladhipati.

(2) One-third of the members of the Board shall form a quorum.

(3) The term of the Academic Planning and Evaluation Board shall be three years.

(4) The Academic Planning and Evaluation Board shall have the following powers and perform the following duties, namely :—

(i) to prepare the short-term and long-term plan of the Vishwavidyalaya;

(ii) to consider and forward to the Executive Council with its recommendations the research projects and academic programmes proposed by the Faculties and to bring about inter-faculty co-ordination for taking up projects on inter-faculty basis;

(iii) to suggest new academic programmes of the Faculties and to do academic evaluation of affiliated colleges and polytechnics of the Vishwavidyalaya from time to time;

(iv) to make proposals for the establishment of departments, institutions of research and specialised studies, laboratories and Museums;

(v) to make proposals for the institution of teaching posts and for prescribing the duties of such posts;

(vi) to evaluate from time to time the working of the Vishwavidyalaya Teaching Departments, and Schools of Studies;

(vii) to evaluate periodically the progress of the plan.

Board to be constituted.

34. (1) There shall be such other Boards in the Vishwavidyalaya as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Constitution, term powers and duties of the Board constituted under sub-section (1) shall be such as may be prescribed by the Statutes.

CHAPTER V—FINANCES

Vishwavidyalaya Funds.

35. (1) The Vishwavidyalaya shall establish a Fund to be called the Vishwavidyalaya Fund.

(2) The following shall form part of, or be paid into, the Vishwavidyalaya Fund:—

(a) any rent contribution or grant by Central or State Government or any body corporate;

(b) trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any;

(c) the income of the Vishwavidyalaya from all sources including income from fees and charges;

(d) all other sums received by the Vishwavidyalaya;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) The Vishwavidyalaya Fund shall be kept in any Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (No. 2 of 1934) or invested in securities authorised by the Indian Trusts Act, 1882 (No. 1 of 1882), at the discretion of the Executive Council.

(4) Nothing in this Section shall, in any way, affect any obligations accepted by or imposed upon the Vishwavidyalya by any declaration of trust executed by or on behalf of the Vishwayidyalaya for the administration of any trust.

Objects to which Vishwavidyalaya Fund may be applied.

36. (1) The Vishwavidyalaya Fund shall be applicable to the following objects, and in the following order :—

(a) to the repayment of debts incurred by the Vishwavidyalaya for the purpose of this Act and Statutes, the Ordinances and Regulations made thereunder;

(b) to the upkeep of Colleges, teaching departments, Schools of Studies established by the Vishwavidyalaya, residence and hostels;

(c) to the payment of the cost of audit of the Vishwavidyalaya Fund;

(d) to the expenses of any suit or proceedings to which Vishwavidyalaya is a party;

(e) to the payment of salaries and allowances of the officers and employees of the Vishwavidyalaya, members of the teaching staff and the establishment employed in the colleges maintained by the Vishwavidyalaya for and in furtherance of the purposes of this Act, and the Statutes, the Ordinances and the Regulations made thereunder and to the payment of any Provident Fund Contributions, gratuity and other benefits to any such officers and employees, members of the teaching staff or the members of such establishment;

(f) to the payment of the travelling and other allowances of the members of the Executive Council, the Academic Council and any other authorities of the Vishwavidyalaya or the members of any Committee or Board appointed by any of the authorities of the Vishwavidyalaya in pursuance of any provision of this Act, and the Statutes, the Ordinances and the Regulations made thereunder;

(g) to the payment of fellowships, scholarships, studentships and other awards to students;

(h) to the payment of any expenses incurred by the Vishwavidyalaya in carrying out the provisions of this Act, and the Statutes, Ordinances and the Regulaltions made thereunder;

(i) to the payment of any other expenses not specified in any of the preceding clauses declared by the Executive Council to be the expenses for the purposes of the Vishwavidyalaya;

(2) No expenditure shall be incurred by the Vishwavidyalaya in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year fixed by the Executive Council without the previous approval of the Executive Council.

(3) No expenditure other than that provided for in the budget shall be incurred by theVishwavidyalaya without the previous approval of the Executive Council.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

CHAPTER-VI :STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

37. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely :— Statutes.

(a) the constitution, powers and duties of such bodies as may be deemed necessary to constitute from time to time;

(b) the manner of election or appointment and the term of office of the members of the bodies referred to in clause (a) including the continuance in the office of the first members, and filling of vacancies of members and all other matters relating to those bodies for which it may be necessary or desirable to provide;

(c) emoluments and other terms and conditions of service of the Kulpati, his powers and duties;

(d) the term of office, conditions of Service and emoluments of Rector and his powers and duties;

(e) powers and duties of the Registrar and other officers and employees of the Vishwavidyalaya and the conditions of their service;

(f) the constitution of a pension or Provident Fund and the establishment of an insurance scheme and provision of gratuity and other benefits for the benefit of the officers of the Vishwavidyalaya;

(g) the holding of convocation to confer degrees;

(h) conferment of honorary degrees;

(i) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(j) the establishment and abolition of faculties, hostels, teaching departments, schools of studies Colleges and Polytechnics maintained by the Vishwavidyalaya;

(k) the conditions under which Colleges may be admitted to the privileges of the Vishwavidyalaya and withdrawal of such privileges;

(l) the extent of the autonomy which the teaching departments of the Vishwavidyalaya, school of studies or Colleges or Polytechnics may have and the matters in relation to which such autonomy may be exercised;

(m) qualifications of Professors, Readers, Lecturers and other teachers in affiliated Colleges and recognised institutions;

(n) the administration of endowments, and the institution of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, bursaries, medals, prizes and other awards;

(o) the emoluments and terms and conditions of service of the officers and the emoluments and terms and conditions of service other than pay scales of teachers of the Vishwavidyalaya paid by the Vishwavidyalaya;

(p) the mode of determining seniority for the purpose of this Act;

(g) the maintenance of a register of registered graduates;

(r) establishment and constitution of Bureau for publications, and;

(s) all other matters which, by this Act, are to be provided for by Statutes;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Statutes how made.

38. (1) The first Statutes with regard to matters set out in Section 37 shall be made by the State Government and a copy thereof shall be laid on the Table of the Legislative Assembly.

(2) The Executive Council may, from time to time make new or additional Statutes and may amend or repeal the Statutes in the manner hereinafter in this Section provided;

(3) The Academic Council may propose to the Executive Council the draft of any new statute or amendment of any existing Statutes to be passed by the Executive Council and such draft shall be considered by the Executive Council at its next meeeting:

Provided that the Academic Council shall not propose the draft of any Statutes or of any amendment of a Statute affecting the status, power or constitution of any existing authority of the Vishwavidyalaya until such authority has been given an opportunity to express its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.

(4) The Executive Council may approve any such draft as is referred to in sub-section (3) and pass the Statute or reject it or return it to the Academic Council for reconsideration, either in whole or in part, together with any amendment which it may suggest.

(5) Any member of the Executive Council may propose to the Executive Council the draft of any new Statute or amendment to existing Statute and the Executive Council may either accept or reject the proposal if it relates to a matter not falling within the purview of the Academic Council. In case such draft relates to a matter within the purview of the Academic Council, the Executive Council shall refer it for consideration to the Academic Council which may either report to the Executive Council that it does not approve the proposal, which shall then be deemed to have been rejected by the Executive Council or submit the draft to the Executive Council in such form as the Academic Council may approve and the provisions of this section shall apply in the case of draft so submitted as they apply in the case of a draft proposed to the Executive Council by the Academic council.

(6) The new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal of a Statute shall require the previous approval of the Kuladhipati who may sanction, disallow or remit it for further consideration.

Ordinances.

39. Subject to the provisions of this Act and the Statute, the Ordinances may provide for all or any of the following matters :—

(i) the admission of students to colleges, teaching departments, schools of studies, Polytechnics and laboratories and levy of fees and their enrolment;

(ii) the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions to be awarded by the Vishwavidyalaya, and the qualifications for the same;

(iii) the examination leading to the degrees, diplomas and certificates of the Vishwavidyalaya;

(iv) the fees to be charged for courses of study in the Vishwavidyalaya and for admission to the examinations, degrees and diplomas of the Vishwavidyalaya;

(v) Laying down conditions for appearing at examinations for degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(vi) conduct of examinations;

(vii) the condition of award of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes etc. ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(viii) the maintenance of discipline amongst the students of the Vishwavidyalaya;

(ix) the conditions of residence of the students, teaching departments, schools of studies and the levy of fees for residence in hostels;

(x) the recognition and inspection of hostels;

(xi) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and prescribing for them special courses of study;

(xii) giving of moral instructions;

(xiii) the management of Colleges Polytechnics and other institutions founded or maintained by the Vishwavidyalaya;

(xiv) the supervision and inspection of Colleges, Polytechnics and other institutions admitted to the privileges of the Vishwavidyalaya;

(xv) the duties, qualifications and conditions of appointment including pay scales of teachers of the Vishwavidyalaya paid by the Vishwavidyalaya;

(xvi) the duties and powers of the Board and Committees to be appointed by the Vishwavidyalaya Jointly with any other Vishwavidyalaya or body;

(xvii) The rules to be observed and enforced by affiliated Colleges Polytechnics and recognised institutions in respect of transfer of students;

(xviii) the register of students to be kept by affiliated Colleges Polytechnics and recognised institutions;

(xix) the mode of execution of contracts or agreements by or on behalf of the Vishwavidyalaya ;

(xx) the rates at which travelling allowance and daily allowance shall be admissible to the members of the authorities, committees and other bodies of the Vishwavidyalaya, the examiners, the officers and staff of the Vishwavidyalaya;

(xxi) constitution of students union and its mode of election thereto; and

(xxii) all other matters which, by this Act or the Statutes, are also to be or may be provided for by the Ordinances:

Provided that an ordinance under item (xv) shall be subject to the provisions of Section 52.

Ordinances how made.

40. (1) All ordinances except the first Ordinance shall be made by the Executive Council.

(2) An Ordinance made by the Executive Council shall come into force from the date on which it is approved by the Kuladhipati.

Procedure regarding Ordinances.

41. (1) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of Section 40, no ordinance shall be made by the Executive Council—

(a) affecting the admission of students, or prescribing examinations to be recognised as equivalent to the Vishwavidyalaya Examinations or the further qualifications

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

mentioned in sub-section (1) of Section 45 for admission to the degree or diploma courses of the Vishwavidyalaya unless a draft of the same has been proposed by the Academic Council; or

(b) affecting conditions and duties of examiners and the conduct or standard of examinations except in accordance with a proposal of the Faculty or Faculties concerned and unless a draft of such Ordinance has been proposed by the Academic Council; or

(c) affecting the qualifications and emoluments of teachers of the Vishwavidyalaya paid by the Vishwavidyalaya, unless a draft of the same has been proposed by the Academic Council.

(2) The Executive Council shall not have powers to amend any draft proposed by the Academic Council under sub-section (1) but may reject the proposal or return the draft to the Academic council, for reconsideration, either in whole or in part, together with any amendment which the Executive Council may suggest.

(3) After any draft returned under sub-section (2) has been further considered by the Academic Council together with any amendment suggested by the Executive Council it shall be again presented to the Executive Council with a report of the Academic Council thereon and the Executive Council may then deal with the draft in such manner as it may think fit.

(4) Where the Executive Council has rejected the draft of an Ordinance proposed by the Academic Council, the Academic Council may appeal to the Kuladhipati and the Kuladhipati may direct that such Ordinance shall have effect from such date as may be specified in the direction.

Regulations.

42. (1) The authorities, committees and other bodies of Vishwavidyalaya constituted by or under this Act may make regulations, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances.

(a) laying down the procedure to be observed at their meeting and the number of members required to form a quorum:

provided that until regulations providing for quorum are made, the quorum to constitute a meeting of any authority, committee or other body of the Vishwavidyalaya shall be the number forming the mojority of the members constituting such authority, committee or other body of the Vishwavidyalaya, for the time being;

(b) providing for all matters which, by this Act, the Statutes or the Ordinances, are to be prescribed by Regulations; and

(c) providing for all other matters solely concerning such authority, or other body or the committees appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances;

(2) Every authority, committee and body of the Vishwavidyalaya shall make regulations providing for the giving of notice to the members of such authority, committee or body of the date of meetings and of the business to be considered at meetings and for keeping the minutes of the meeting:

Provided that any authority, committee or body of the Vishwavidyalaya which is not satisfied with any modification or annulment may appeal to the Kuladhipati whose decision in this matter shall be final.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

CHAPTER-VII

RESIDENCE OF STUDENTS, ENROLMENT AND DEGREES, ETC.

Residence of Students.

43. Every Student of the Vishwavidyalaya shall reside in hostel or elsewhere under such conditions as may be prescribed by the Statutes and Ordinances.

Hostel.

44. (1) Hostels, other than those maintained by the Vishwavidyalaya shall be such as may be recognised by the Executive council on such general or special conditions as may be prescribed by the Ordinance.

(2) The wardens and the Superintending Staff of the hostel shall be appointed in the manner prescribed by the Statutes.

(3) The conditions of residence in hostel shall be prescribed by the Ordinances and every hostel shall be subject to inspection by the authority or officer of the Vishwavidyalaya authorised in this behalf by the Executive Council.

(4) the Executive Council shall have power to suspend or withdraw the recognition of any hostel on the ground that it is not conducted in accordance with the conditions prescribed by the Ordinance:

Provided that no such action shall be taken without affording the managing authority of such hostel an opportunity of making such representation as it may deem fit.

Admission to Vishwavidyalaya Courses.

45. (1) Students shall not be eligible for admission to a course of study for a degree or diploma unless they have passed the final examination or 10th examination respectively held under the Madhya Pradesh Madhyamik Shisksha Adhiniyam, 1965 (No. 23 of 1965), or an examination recognised in accordance with the provisions of this Section as an equivalent thereto and possess such further qualifications as may be prescribed by the Ordinance.

(2) The Vishwavidyalaya may with the previous sanction of the State Government recognise for the purposes of admission to a course of study for a degree or diploma as equivalent to its own degrees or diplomas and any Degree or diploma conferred by any other University or Board or as equivalent to the final examination held under the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Adhiniyam, 1965 (No. 23 of 1965), any other Examination and have been enrolled as student of the Vishwavidyalaya.

(3) No student shall be admitted to a course of study leading upto a degree unless he is enrolled as a student in a college polytechnic Teaching Department or School of Study.

Appointment of Examiners and Moderators.

46. (1) Subject to the provisions of the Statutes, all Examiners and Moderators of examination questions shall be appointed by the Kulpati, in consultation with the Committee consisting of the following members :—

(i) the Dean of the Faculty concerned who shall be the Chairman of the Committee;

(ii) the Chairman of the Board of Studies concerned;

(iii) a member of the Board of Studies concerned to be nominated for the purpose by the Kulpati,

(2) If during the course of an examination, an examiner becomes, for any course, incapable of acting as such, the Kulpati shall appoint an examiner to fill the vacancy.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Inspection of Colleges and Polytechnics and reports.

47.(1) Every college or polytechnic shall furnish such reports, returns and other information as the Executive Council, after obtaining the opinion of the Academic Council, may require to enable it to judge the efficiency of the institution.

(2) The Executive Council shall cause such institution to be inspected from time to time by one or more competent persons authorised by the Executive Council in this behalf.

(3) The Executive Council may call upon any such College or institution so inspected to take with a specified period, such action as may appear to it to be necessary.

Registered graduates/or diploma holders.

48. Only graduate or diploma holders of the Vishwavidyalaya shall on payment of such fees as may be prescribed by the Statutes to be entitled to have their names enrolled in the register of Registered Graduates or Diploma holders to be maintained in such form as may be prescribed by the Statutes.

CHAPTER-VIII

AUDIT

Annual Reports.

49. The annual report of the Vishwavidyalaya shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Court on or before such date as may be prescribed by the Statutes and shall be considered by the Court at its annual meeting. The Court may pass resolution thereon and communicate the same to the Executive Council.

The Vishwavidyalaya shall, thereafter send a copy of the annual report to the State Government and the State Government shall, as soon as may be, cause the same to be laid on the table of the State Legislative Assembly.

Audit of Accounts.

50. (1) The Accounts of the Vishwavidyalaya shall at least once every year at intervals of not more than fifteen months be audited by the Examiner of Local Fund Accounts of the State.

(2) the copy of the audited accounts together with the audit report shall be submitted by the Executive Council to the Court and the State Government. The State Government shall, as soon as may be, cause the same to be laid on the table of the Legislative Assembly.

CHAPTER-IX

APPOINTMENT TO TEACHING POSTS IN THE VISHWAVIDYALAYA

Appointment of Teaching posts.

51. (1) No person shall be appointed—

(i) as a Professor, Reader, or Lecturer; or

(ii) to any other teaching post of the Vishwavidyalaya paid by the Vishwavidyalaya except on the recommendation of a committee of selection constituted in accordance with sub-section (2) :

Provided that if appointment to any of the teaching posts aforesaid is not expected to continue for more than six months and cannot be delayed without detriment to the interest of the department of institution maintained by the Vishwavidyalaya, the Executive Council may make such appointment without obtaining the recommendation of the committee of selection constituted under sub-section (2) but the person so appointed, shall not be retained on the same post for a period exceeding six months or appointed to another post in the service of the Vishwavidyalaya except on the recommendation of the said committee of selection.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) The members of the committee of selection shall be.—

(i) the Kulpati, Chairman,

(ii) one expert to be nominated by the Kuladhipati from a Panel submitted by the Academic Council of three experts in the subject not connected with the Vishwavidyalaya in any manner whatsoever;

(iii) three subject experts not connected with the Vishwavidyalaya in any manner whatsoever to be nominated by the Kuladhipati;

(iv) secretary in charge of the manpower Planning Department, Government of Madhya Pradesh.

(3) Three members of the selection committee shall form the quorum.

(4) The committee shall investigate the merits of the various candidates and shall recommend to the Executive Council the names, if any, of persons whom it considers suitable for the posts, arranged in order of merit:

Provided that no recommendation shall be made, unless at least two experts nominated under clause (iii) and (iv) of sub-section (2) are present in the meeting in which such recommendation is to be decided upon.

(5) Out of the names so recommended under sub-section (4) the Executive Council shall appoint persons in order of merit.

Salaries of teachers paid by Vishwavidyalaya.

52. The Payment of the salaries to the teachers of the Vishwavidyalaya paid by the Vishwavidyalaya shall be in accordance with scales fixed by the Executive Council by Ordinance with the prior approval of the State Government.

CHAPTER X—EMERGENCY PROVISIONS

State Government to Assume Financial Control in certain Circumstances.

53. (1) If the State Government is satisfied that owing to maladministration or financial mismanagement in the Vishwavidyalaya a situation has arisen where by financial stability of the Vishwavidyalaya has become insecure, it may by notification, declare that the finances of theVishwavidyalaya shall be subject to the control of the State Government.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall, in the first instance, remain in operation for a period of one year from the date specified in the notification and the State Government may, from time to time, by a like notification, extend the period of operation by such further period as it may think fit, provided that the total period of operation does not exceed three years.

(3) During the period the notification issued under sub-section (1) remain in operation, the executive authority of the State Government shall extend to the giving of directions to the said Vishwavidyalaya to observe such cannons of financial propriety as may be specified in the direction and to the giving of such other directions as the State Government may deem necessary and adequate for the purpose.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, any such direction may include :—

(i) a provision requiring the submission of the budget to the State Government for sanctions;

(ii) a provision requiring the Vishwavidyalaya to submit every proposal involving financial implications to the State Government for sanction;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(iii) a provision requiring the submission of every proposal for revision of scales of pay and rates of allowances of the officers, teachers and other persons employed by the Vishwavidyalaya to the State Government for sanction;

(iv) a provision requiring the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons employed by the Vishwavidyalaya;

(v) a provision requiring the reduction in the officers, teachers and other persons employed by the Vishwavidyalaya;

(vi) a provision requiring the lowering down of scales of pay and rates of allowances; and

(vii) a provision in regard to such other matters as may have the effect of reducing the financial strain on the Vishwavidyalaya.

(5) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be binding on every authority of the Vishwavidyalaya and every officer of the Vishwavidyalaya to give effect to the direction given under this section.

(6) Every officer of the Vishwavidyalaya shall be personally liable for misapplication of any fund or property of the Vishwavidyalaya as a result of non-compliance of the direction given under this Section to which he shall have been a party or which shall have happened through or been facilitated by gross neglect of his duty as such officer, and the loss so incurred shall, on a certificate issued by the Secretary to Government of Madhya Pradesh, Manpower Planning Department, be recovered from such officer as an arrear of land revenue:

Provided that no action to recover the amount of loss as an arrear of land revenue shall be taken until reasonable opportunity has been given to the person concerned to furnish an explanation and such explanation has been considered by the State Government.

Powers of state Government to apply Act in modified form with a view to provide for better administration of Vishwavidyalaya in certain Circumstances.

54. (1) If the State Government on receipt of a report or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the Vishwavidyalaya cannot be carried out in accordance with the provisions of the Act, without detriment to the interests of the Vishwavidyalaya and it is expendient in the interest of the Vishwavidyalaya so to do, it may be notification, for reasons to be mentioned therein, direct that the provisions of Sections 12,13, 22 to 28, 42, 49, 50 and 69 shall as from the date specified in the notification (hereinafter in this Section referred to as the appointed date) apply to the Vishwavidyalaya.

(2) The Notification issued under sub-section (1) (hereinafter referred to as the notification) shall remain in operation for a period of one year from the appointed date and the State Government may, from time to time, extend the period by such further period as it may think fit so, however that the total period of operation of the notification does not exceed three years.

(3) the Kuladhipati shall simultaneously with the issue of the notification, appoint the Kulpati under Sections 12 and 13 and the Kulpati so appointed shall hold office during the period of operation of the notification:

Provided that the Kulpati may notwithstanding the expiration of the period of operation of the notification, continue to hold office thereafter until his successor enters upon office but this period shall not exceed one year.

(4) As from the appointed date, the following consequences shall ensue, namely:—

(i) the Kulpati, holding office immediately before the appointed date, shall notwithstanding that his term office has not expired, vacate his office;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ii) every person holding office as a member of the Court, the Executive or the Academic Council, as the case may be immediately before the appointed date shall cease to hold that office;

(iii) until the court, executive Council or Academic Council, as the case may be is reconstituted in accordance with the provisions as modified, the Kulpati appointed under Sections 12 and 13 as modified, shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed by or under this Act, on the Court, the Executive Council or Academic Council:

Provided that the Kuladhipati may, if he considers it necessary so to do, appoint a committee consisting of an educationist, an administrative expert and a financial expert to assist the Kulpati so appointed in exercise of such powers and performance of such duties.

(5) Before the expiration of the period of operation of the notification or immediately as early as practicable, thereafter, the Kulpati shall take steps to constitute the Court, Executive Council and Academic Council in accordance with the provisions of the Act, as unmodified and the Court, Executive Council and Academic Council as so constituted shall begin to function on date immediately following the date of expiry of the period of operation of the notification or the date on which the respective bodies are so constituted whichever is later:

Provided that if the Court, Executive Council and Academic Council are not constituted before the expiration of the period of operation of the notification, the Kulpati shall on such expiration, exercise the powers of each of these authorities subject to prior approval of the Kuladhipati till the Court, Executive council or Academic Council, as the case may be, is so constituted.

Effect on expiration of the period of operation of notification under Section 54.

55. On expiration of the period of operation of the notification issued under Section 54, the provisions of this Act, as modified in application to the Vishwavidyalaya mentioned in the notification shall cease to operate in respect thereof and the other relevant provisions of this act shall revive and continue to apply thereto:

Provided that the expiration of, the operation of the notification shall not affect:—

(a) Previous operation of or anything done or suffered under the provisions as modified in any order made thereunder; or

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the provisions as modified or any order made thereunder; or

(c) any investigation or remedy in respect of any such right, privilege, obligation or liability as aforesaid, and such investigation or remedy may be instituted or enforced as if the modified provisions had not ceased to apply.

CHAPTER-XI—SUPPLEMENTARY PROVISIONS

Disputes as to constitution of Vishwavidyalaya authorities and bodies.

56. If any question arises regarding the interpretation of any provisions of this Act or any Statutes, Ordinances or Regulations or as to whether any person has been duly elected, appointed as or, is entitled to be, a member of any authority or other body of the Vishwavidyalaya, the matter shall be referred to Kuladhipati whose decision thereon shall be final:

Provided that before taking any such decision the Kuladhipati himself or an officer nominated by him shall give the person or persons affected thereby a reasonable opportunity of being heard.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Explanation.—In this section, the expression—

(a) "body" includes any committee constituted by or under this Act;

(b) "appointed" does not include appointments to the salaried posts of the Vishwavidyalaya.

Constitution of Committees.

57. Where any authority of the Vishwavidyalaya is given power by this Act, or the Statutes to appoint committees, such committees shall, save as otherwise provided, consist of members of the authority concerned and of such other persons, if any, as the authority in each case may think fit.

Filling of Causual vacancies.

58. Save as otherwise provided in this Act, all casual vacancies among the members other than ex-officio members of any authority, committee or other body of the Vishwavidyalaya shall be filled, as soon as conveniently may be, by the persons or the body who nominated, appointed, elected or co-opted the member whose place has become vacant and the person nominated, appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority, committee or body for the remainder term for which the person whose place he fills would have been a member.

Proceedings of Vishwavidyalaya and bodies not invalidated by vacancies.

59. No act or proceeding of any authority, committee or body of the Vishwavidyalaya shall be invalid merely by reason of—

(a) any vacancy in or defect in the constitution thereof;

(b) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as a member thereto; or

(c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

Conditions of Service.

60. (1) Every salaried officer and teacher of the Vishwavidyalaya paid by the Vishwavidyalaya shall be appointed under a written contract which shall be lodged with the Vishwavidyalaya and a copy thereof furnished to the officer teacher concerned.

(2) Any dispute regarding service matters arising out of contract or otherwise between the Vishwavidyalaya and any of its salaried employees shall be adjudicated upon by the Kulapati and an appeal against the Kulapati's decision shall lie to the Kuladhipati, who shall decide the dispute himself or refer it to a tribunal constituted for the purpose consisting of the following members, namely:—

(i) a Senior Vice-Chancellor of any of the University;

(ii) a Senior Secretary to the State Government, and

(iii) a Senior Principal of the post-graduate engineering institution of the State.

Pension and Provident Fund.

61. The Vishwavidyalaya shall constitute for the benefit of its officers, teachers, clerical staff and other employees in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes such pension,insurance and provident fund and institute such other benefit as it may deem fit.

Protection of action taken in good faith.

62. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer, teacher or other employee of the Vishwavidyalaya for anything which is in good faith done or intended to be done by him under this Act, or the Statutes of the Ordinances or Regulations.

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

Approval for imparting instructions.

63. No persons shall impart instruction in the Vishwavidyalaya or any College.—

(a) unless such person possesses the qualifications laid down by the Academic Council in that behalf; and

(b) except in such subject or subjects and upto the standard for which his qualifications have been approved by the Academic Council.

Classification of Teachers.

64. (1) Professors, Readers and Lecturers in Colleges and Lecturers and Head of Departments in Polytechnics fulfilling the academic and other qualifications and conditions of experience laid down by the All India Council for Technical Education (AICTE) and drawing pay in the AICTE pay scales or that approved by the State Government shall be recognised as Professors, Readers, Head of Departments and Lecturers of the Vishwavidyalaya, Principals of Colleges with a minimum 15 years teaching experience of minimum degree level in concerned subjects and drawing salary of the Principal approved by the State Government shall be recognised as professor by the Vishwavidyalaya.

(2) Visiting Professor means a Professor invited by the Executive Council for a short term of not more than 6 months as stipulated in the contract.

(3) A teacher who is appointed on parttime basis in any institution shall not be given recognition by the Vishwavidyalaya.

Terms of office of members of Authority of Vishwavidyalaya.

65. (1) Wherever in accordance with this Act, any person is to hold an office or to be a member of any authority, by rotation according to seniority, such seniority in the absence of any provisions to the contrary in the Act, shall be determined in accordance with the Statutes:

Provided that, till the Statutes are made, the seniority in particular cadre shall be determined by the length of continuous service in such a cadre and where the length of continuous service of two or more persons in the same cadre is the same, then "Seniority" shall be determined by Seniority in age.

(2) Wherever any person becomes a member of any authority by virtue of the post or office held by him or by virtue of possessing a specified qualification, he shall forthwith cease to be a member of such authority if he ceases to hold such post or office or if he ceases to possess such qualifications before the expiry of the term of his membership:

Provided that he shall not be deemed to have ceased to hold his post or office merely by reason of his proceeding on leave for a period not exceeding four months.

Resignation of member or Officer of Vishwavidyalaya.

66. (1) Any member other than an ex-officio member of the Court Executive Council, the Academic Council, or any other Vishwavidyalaya Authority or committee of Dean of a Faculty may resign by a letter addressed to the Registrar, and the resignation shall take effect as soon as the letter is received by the Registrar.

(2) Any officer of the Vishwavidyalaya, whether salaried or otherwise, other than a Dean may resign his office by a letter addressed to the Registrar. Such resignation shall take effect from the date on which the same is accepted by the Authority competent to fill the vacancy.

Disqualification for being Member of authority.

67. (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of any of the Authorities of the Vishwavidyalaya—

(a) if he is of unsound mind; or

(b) if he is deaf, mute or suffering from any contagious disease; or

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(c) if he is an undischarged insolvent; or

(d) if he has been convicted by a Court of Law of an offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months

(2) If any question arises as to whether a person is or has been subject to any of the disqualifications mentioned in sub-section (1) the question shall be referred for the dicision of the Kuladhipati and his decision thereon shall be final and no suit or other proceeding shall lie in any court of law against such decision.

Power to remove from register of graduates or diploma holders or any authority or body of Vishwavidyalaya.

68. (1) The Kuladhipati may, on the request of the Executive Council, remove the name of any person from the register of graduates or diploma holders and remove the name of any person from membership of any authority or body of the Vishwavidyalaya, if—

(i) he is quilty of gross misbehaviour; and

(ii) he acts prejudicial to the interest of the Vishwavidyalaya:

Provided that the Kuladhipati shall cause a preliminary enquiry to be made and if he is satisfied that *prima facie* case exists, he shall serve on such registered graduate or diploma holder or a member of any authority or body, as the case may be, a charge-sheet, in writing, stating the misbehaviour or the act prejudicial to the interest of the Vishwavidyalaya, as the case may be.

(2) After taking into consideration the reply to the charge-sheet submitted to him by the registered graduate or member of the authority or body of the Vishwavidyalaya, as the case may be under sub-section (1), the Kuladhipati may, if he considers that further action is necessary, entrust the enquiry to a Tribunal consisting of a nominee of the Kuladhipati, a nominee of the Executive Council and a nominee of the accused registered Graduate or diploma holder or member, as the case may be.

(3) The Tribunal shall after giving the accused registered graduate or diploma holder or members, as the case may be, an opportunity of being heard and examining such evidence as may be necessary, record its findings and forward it to the Kuladhipati; and

(4) The Kuladhipati may, after considering the report of the Tribunal pass such final orders as he considers necessary:

Provided that no order shall be passed unless the accused registered graduate or diploma holder or member, as the case may be has been given a reasonable opportunity to show cause as to why the proposed action should not be taken against him.

Removal of difficulties.

69. If any difficulty arises as to the first constitution or reconstitution of any authority of the Vishwavidyalaya after commencement of this Act, or otherwise in giving effect to the provisions of this Act, the State Government, as occasion may require, may be order do anything which appears to it necessary for the purpose of removing the difficulty.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1998.